बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि ११ फरवरी, १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण

प्राथमिक शिक्षक संघ का सत्याग्रह ।

श्री एकनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान प्राथमिक तथा मिडल स्कूल के अध्यापकों की संकटपूर्ण स्थिति जो बढ़ती हुई महंगाई के कारण हो गयी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

बिहार के शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राजकीय शिक्षकों के समान वेतन एवं महंगाई भत्ता दिया जाय । इस सबंध में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री हीरा लाल पटवारी की केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से दिनांक ३ सितम्बर, १९६४ को जो बातें हुईं और शिक्षा मंत्री ने उनकी मांग मान ली है और इसी आधार पर प्रत्येक शिक्षक को उन्होंने अविलम्ब १० रु० महंगाई भता देने का आश्वासन दिया है । यह रकम शिक्षकों को दिनांक १ अप्रील १९६४ से मिलेगी । तिथि १ दिसम्बर १९६४ को जो पत्र शिक्षा मंत्री ने श्री पटवारी को लिखा है वह आश्वासन से भिन्न होता है । अतः १७ जनवरी १९६५ को फिर शिक्षा मंत्री से श्री पटवारी को बातें हुई। वार्तालाप की विफलता के कारण श्री पटवारी ने आमरण अनशन करने एवं बिहार प्रादेशिक शिक्षक संघ तथा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिनांक ८ फरवरी १९६५ से सत्याग्रह करने का निर्णय लिया इस आन्दोलन का प्रभाव शिक्षण कार्य पर पड़ेगा इसका असर जन-जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा ।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि अविलम्ब शिक्षक संघ की मांग को मान कर उनके प्रति न्याय किया जाय और वातावरण को दूषित होने से बचाया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि मजदूर युनियन की तरह उन्हें कार्य नहीं करना चाहिये । इसलिये उन्होंने सत्याग्रह का कार्यक्रम बन्द कर दिया है । शिक्षा से ही किसी राज्य की प्रगति होती है और हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य में शिक्षा की ओर जैसा समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये वैसा नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष—आपने ध्यानाकर्षण की जो सूचना दी है उसी पर कहें, जेनरल डिबेट मत करें ।

लेसी लोज की अवधि बढ़ाने को प्रस्तुत नहीं थे और लेसर भी मिल को चलाने में असमर्थ थे। अतः मिल दिनांक १ जनवरी, १९६५ से बन्द हो गया है। जैसे ही सरकार को सूचना मिली कि दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ को कटिहार जूट मिल्स का लोज समाप्त होने वाला है और उसके बाद मिल को बन्द होने की सम्भावना है। सरकार ने इस विषय पर कार्रवाई शुरू कर दी कि किसी प्रकार इस मिल को दिनांक ३१ दिसम्बर १९६४ के बाद भी चालू रखा जाय। सरकार ने लेसर और लेसी के प्रतिनिधियों के साथ मिल को चालू रखने के संबंध में विचार-विमर्श किया। पर मिल को दिनांक ३१ दिसम्बर १९६४ के बाद चलाने की आशा नहीं दिखाई पड़ी। सरकार बराबर महसूस करती रही कि मिल के बन्द हो जाने से न सिर्फ २०००, मजदूर बेकार हो जायेंगे, बल्कि जूट पैदा करनेवाले किसानों को भी कष्ट होगा। इसीलिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत इस मिल का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के द्वारा ले लिया जाय, जैसा कि हाल में कई एक चीनी कारखानों के संबंध में किया गया था। मुख्य मंत्री ने स्वयं भी दिल्ली में भारत सरकार से इस संबंध में बातें की और इसपर जोर दिया कि इस मिल के प्रबन्ध को सरकार अपने हाथ में समय पर ले ले, ताकि मिल बराबर चालू रहे। भारत सरकार भारत सुरक्षा नियम के अधीन कार्रवाई करने को सहमत नहीं हुई पर उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक समझा जाय तो इंडस्ट्रीज (डेभलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, १९५१ के अधीन मिल को कब्जे में लिया जाय। इस कानून के अन्तर्गत भारत सरकार ने एक समिति बनाई और उसके जिम्मे यह कार्य सौंपा गया कि इस मिल की स्थिति के संबंध में जांच-पड़ताल कर यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रतिवेदन दे, जिसके आधार पर इस मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के संबंध में सरकार अविलम्ब निर्णय ले सके। इस समिति में राज्य सरकार के उद्योग विभाग के सचिव भी एक सदस्य हैं। इस समिति ने अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर दी है और अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेज दिया है। जो गुप्त है। चूंकि इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट के अधीन कार्रवाई करने में काफी समय लग जाता है, राज्य सरकार ने एक बार फिर से भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भारत सुरक्षा नियम के अधीन ही कार्रवाई करके इस मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में शीघ्र ले लें। आशा है कि भारत सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला करेगी।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार इस बात के लिये बराबर सचेष्ट रही है कि यथाशीघ्र इस मिल को फिर से चालू कराने का प्रबन्ध किया जाय।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

*श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सदन के माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो उनके धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान में उल्लिखित निर्देश के मुताबिक हो वित्तीय वर्ष में महामहिम राज्यपाल विधान-मंडल के सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हैं और अपनी राय उसके सामने प्रगट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस परिपाटी की बुनियाद इसलिये डाली गयी है कि विधान-मंडल के सदस्यों को सरकार द्वारा पीछे किये गये कार्यों को बतलावें, जो उसकी वर्त्तमान स्थिति है उसके संबंध में वे कुछ जानकारी हासिल करायें और भविष्य में सरकार क्या करना चाहती है इसकी रूपरेखा से भी सदन को

अवगत करावें । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने महामहिम राज्यपाल के द्वारा इन सारी बातों की जानकारी सदन को कराने की चेष्टा नहीं की है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने पढ़ा और उस दिन भी उसे ध्यान से सुना था । इस बात के लिये उन्हें धन्यवाद देने के लिये मैं साथ हूँ कि हिन्दी भाषी न रहते हुए भी उन्होंने हिन्दी भाषा में अपना भाषण इस सदन में दिया आज जब हिन्दी भाषा के नाम पर देश में इंटिग्रेशन की नहीं बल्कि डिसइंट्रिग्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे समय में महामहिम राज्यपाल ने बिहार सरकार के निर्णय और विधान-सभा के अध्यक्ष महोदय के निर्णय को सामने रख कर जो काम किया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ट २ में हम यह पाते हैं कि राज्य सरकार की कठिनाईयों और खाद्यान्न की स्थिति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गयी है । पृष्ठ २ में यह कहा गया है :—

"योजनाओं पर दिनानुदिन बढ़ते हुए खर्च के कारण तथा अन्य कारणों से जिनपर राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है, जनोपयोगी चीजों का मूल्य बढ़ा है जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस दिशा में मेरी सरकार राष्ट्रीय नीति को मुस्तैदी से अमल में लाने की भरसक चेष्टा कर रही है । १९६३ साल में जब २,४३,२५७ टन खाद्यान्न फेयर प्राइस दूकानों द्वारा बिक्री के लिये प्राप्त किया गया था वहां १९६४ के अंतिम ११ महीनों में ५,६६,००० टन प्राप्त किया गया । उसी तरह १९६४ के शुरू में फेयर प्राइस दूकानों की संख्या कुल ९,३६३ थी जो नवम्बर १९६४ में बढ़कर १६,६५९ हो गई ।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो महामहिम राज्यपाल को चीजों की कीमतों के बारे में ब्योरा दिया गया है वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मंहगाई को रोकने में तथा खाद्यान्न की विषमता को दूर करने में बिहार की कांग्रेसी सरकार नाकामयाब रही है और पूर्णरुपेण नाकामयाब रही है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कहता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से तृतीय पंचवर्षीय-योजना तक बिहार सरकार ने राज्यमें २.७८ लाख एकड़ जमीन पर खेती की पैदावार बढ़ाने में ६८ करोड़ रुपये कृषि मद में खर्च किया है, ११७ करोड़ रुपया सिंचाई मद से तथा रेवेन्यू की मद से ९ एल० आर० के द्वारा ९ करोड़ रुपया खर्च किया है । प्रखंडों के जरिये आपने १६ करोड़ रुपया खर्च किया है । इसतरह २ सौ करोड़ रुपया आपने बिहार राज्य में कृषि की पैदावार बढ़ाने में खर्च किया है फिर भी पिछले साल ११ महीनों में ५६९ लाख टन अनाज बिहार में फेयर प्राइस शौप में भेजना पड़ा है । जनसंख्या की दृष्टि से इसपर विचार करते हैं तो ये आंकड़े समुद्र में बूंद के समान हैं । बिहार में १६ हजार ६ सौ ५९ दूकाने हैं और जन संख्या ४ करोड़ ६५ लाख है । जन-संख्या के हिसाब से इन दूकानों का हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि ३ हजार की जन-संख्या पर एक फेयर प्राइस शौप है और प्रति दूकान करीब ३ हजार जन-संख्या पर गल्ला कुल ५ लाख ६९ हजार टन दिया गया है । ११ महीनों में प्रति दूकान साढ़े ३४ लाख टन होता है । अर्थात् १ महीने में करीब ३ टन गल्ला ३ हजार की संख्या पर पड़ताहै और इस तरह एक हजार की जन-संख्या पर १ टन गल्ला १ महीने में दिया गया है । अगर आप हिसाब लगावें तो प्रतिदिन १ हजार की जन-संख्या पर १ मन अनाज पड़ता है यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधे छटांक से कुछ अधिक गल्ला मिलता है ।

अध्यक्ष—यह गल्ला जो वहां पैदा होता है उसके अलावे है ।

श्री कपिल देव सिंह—अर्थात् ६४ छटांक के हिसाब से ६४० छटांक गल्ला ३ हजार की जनसंख्या पर प्रतिदिन दिया गया है । यह इनका प्रयास असफल रहा है । अध्यक्ष महोदय,

मैं इसलिए ऐसा कहता हू कि फेयर प्राइस की दूकानों की संख्या जो दी गयी हैं उसके साथ इनको यह दिखलाना चाहिये था कि उनको प्रतिदिन कितना अनाज दिया गया, किस रेट पर दिया गया लेकिन इसकी चर्चा नहीं की गयी हैं । केवल यही आंकड़ा दिया गया है कि इतनी दूकानें खुलो । कितना गल्ला दिया और किस मात्रा में दिया यह भी इनको बतलाना चाहिये था । जिस गति से चीजों का दाम बढ़ा हैं उस गति से उतनी मात्रा में लोगों को गल्ला नहीं दिया गया । इस चोज में सरकार असफल रही हैं । महामहिम राज्य पाल से सिर्फ इतना कहला देना ही पर्याप्त नहीं था कि इतनी दूकान खुली, बल्कि आपका यह काम नगण्य रहा हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का कहना हैं कि सरकार के जो मुलाजिम हैं वे खराब हैं । लेकिन ऐसी बात नहीं हैं । सरकार के मुलाजिम खराब नहीं हैं बल्कि आपका का काम खराब हैं । नेपोलियन ने कहा था कि फौज के सिपाही खराब नहीं होता हैं बल्कि फौज का जेनरल खराब होता हैं । आपके माध्यम से नेपोलियन के शब्द को मैं दोहराता हूँ और कहता हूं कि आज बिहार राज्य की जो स्थिति हैं वह आपके शासन-प्रबन्ध की वजह से हैं । जो सरकार के मुलाजिम हैं वे दोषी नहीं हैं बल्कि मंत्रिमंडल की गद्दी पर बैठने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ बाबू दोषी हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कर्पूरी ठाकुर के विचारों से सहमत हूं और मेरे भी विचार उनसे ज्यादा मिलते-जुलते हैं । मैं ऐसा समझता था कि कृष्णवल्लभ बाबू एक कर्मठ, योग्य और निर्भीक शासक हैं और मुख्य मंत्री के बनने के बाद से सारे बिहार में जो जनता में उत्साह पैदा हुआ और लोगों ने यह समझा कि बिहार का अब भला होने वाला हैं । सचिवालय के करप्ट और कमजोर अधिकारी इनके आने से घबड़ाने लगे थे कि अब क्या होगा। लिपमैन ने रुजवेल्ट के बारे में एक किताब लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि रुजवेल्ट के आने के पहले अमेरिका का शासन प्रबन्ध बहुत खराब हो गया था लेकिन रुजवेल्ट के राष्ट्रपति चुने जाने के ७ दिनों के भीतर ही अमेरिका के लोगों में आस्था जम गयी । लोगों में, बैंकों में, खेतों में काम करने वाले लोगों में जो विश्वास खत्म हो गया था वह फिर कायम हो गया । उसी तरह हम समझते थे कि बाबू कृष्णवल्लभ सहाय के आने के बाद लोगों में आस्था जमेगी लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। कृष्णवल्लभ बाबू कहते हैं कि कपिलदेव सिंह को मैं छोटा भाई मानता हूं । मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं भी कृष्णवल्लभ बाबू को अपना बुजूर्ग मानता आया हूं । उनके प्रति मेरी बड़ी आस्था थी।

स्वर्गीय डा० श्रीकृष्ण सिंह की मिनिस्ट्री में श्री कृष्णवल्लभ सहाय को अर्जुन जैसा प्रतिभाशाली देखा था, जो गरीबों की तरफ से लड़ने में कभी भी नहीं हिचकते थे । लेकिन आज इतने दिनों से गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज भी आपके प्रति मेरी वही श्रद्धा हैं, लेकिन आज कृष्णवल्लभ बाबू वह नहीं रह गये हैं । अब श्री कृष्ण वल्लभ सहाय उसी तरह से हो गये हैं जिस तरह से महाभारत के अन्त में अर्जुन का हाथ कमजोर पड़ गया था, गांडीव गिर गया था और तेज का हरण हो गया था । कुछ डकैतों ने अर्जुन की सारी सम्पत्ति आदि लूट ली थी, उसी तरह से आज कृष्णवल्लभ बाबू के तेज का हरण हो गया हैं । कृष्णवल्लभ बाबू जो पहले तेजनिपुण थे, आज तेजहीन हो गये हैं । इसलिये आज सारे राज्य में उनके प्रति लोगों का विचार बदल गया हैं, ख्याल बदल गया हैं । हम समझते हैं कि सरकार के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वह कमजोर हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से डा० आरनोल्ड टायनबी की दो पंक्तियां जो अंग्रेजी में हैं पढ़ देना चाहता हूँ:

"Men in power always abouse power, particularly when power is uncontrolled.

यह सही है कि जब किसी व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो वह उसका दुरुपयोग करता है और जब अनियंत्रित शक्ति मिल जाती है तो वह उसका और ज्यादा दुरुपयोग करता है। इस बात को मैं कबूल करता हूं कि जनतंत्र का जो भविष्य होना चाहिये वह नहीं है। जनतंत्र में विरोधी दल को मजबूत होना चाहिये लेकिन हम इस बात को कबूल करते हैं कि देश आत्म विलगाव की तरफ जा रहा है। हम विरोधी भी कमजोर होते जा रहे हैं। जनता इस बात पर भरोसा नहीं करती है और कर रही है कि कांग्रेस से शासन लेने पर किसके हाथ में दिया जाय। जनता को यह भरोसा नहीं है कि कांग्रेस को गद्दी से हटाने पर किसको गद्दी पर बैठा जायेगा। जनता की आस्था उठ गयी है। जनता आज इस बात को कबूल करती है जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों जाओ भले ही देश जहन्नुम में चला जाय, हम मुस्लिम लीग से देश की समस्या को निबट लेंगे। इसी तरह से जनता आज यही चाहती है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई हुकूमत हो लेकिन यह कांग्रेसी सरकार बदल जाय। आज सरकार में जो खामियां हैं, उससे जनता बेचैन है, बेजोर है इसलिये जनता चाहती है कि कोई भी आये मगर यह सरकार यहां से चली जाय। मैं अब और दो-तीन बातों की चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। हमारा प्रांत औद्योगिक मामले में भी बहुत पीछे है। मैं इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम बिहार को हिन्दुस्तान के नक्शे पर ला देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उद्योग के मामले में चार-पांच दिन पहले जो सर्वे रिपोर्ट निकली है बिहार उद्योग के क्षेत्र में और दूसरे उद्योगों में बिहारियों की नियुक्ति के संबंध में, उसमें लिखा है कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में दूसरा स्थान रखता है मगर नियुक्ति में नौवां। इसी सदन में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बिहारियों की नियुक्ति के प्रश्न पर जो प्रस्ताव आया था वह रेजोल्यूशन नन-आफिशियल था उसमें सरकार के लोगों ने कहा था कि सरकार नियुक्ति के बारे में विचार करेगी। मुख्य मंत्री ने इसके लिये श्री कमलदेव नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक कमिटी भी बनायी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस कमिटी के बनने के बाद से कितने बिहारियों को यह सरकार उद्योगों में काम दिला सकी है और किन-किन फैक्टिरियों में बिहारियों को ज्यादा तरजीह दी गयी है। बिहार की सरजमीन पर कितने कारखाने खड़े किये गये और उनमें कितने बिहारियों की नियुक्ति कर बेकारी में कमी की गयी है। कुछ उद्योगों के बारे में अभिभाषण के पृष्ठ १० में कहा गया है। अशोक पेपर मिल को ५० लाख रुपया दिया गया और कहा गया था दिसम्बर, १९६३ से यह मिल प्रोडक्शन में चली जायेगी लेकिन वह प्रोडक्शन में नहीं गयी। पचास लाख रुपया बैंक ने बिहार सरकार की जमानत पर कर्ज दिया। यह रुपया अगर फैक्टरी नहीं देगी तो बिहार सरकार को देना पड़ेगा। इस तरह से फैक्टरी को एक करोड़ रुपया दिया गया और आज १९६५ का फरवरी महीना है, लेकिन आज भी यह पेपर मिल प्रोडक्शन में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक करोड़ रुपये की पूंजी से अशोक पेपर मिल में क्या हुआ है, क्या तरक्की हुई है। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल है ठाकुर पेपर मिल को सरकार ने १६ लाख रुपया दिया। क्या इसमें रुपया लौटाने या मुनाफा बांटने की शर्त थी, तो इससे कितना पैसा लौट रहा है ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—ठाकुर पेपर मिल तो बन्द है।

श्री कपिलदेव सिंह—मेरा तीसरा इलजाम भगवान देवी पेपर मिल के बारे में है।

है। इस मिल को ६ लाख रुपया दिया गया

अध्यक्ष—आपका २ मिनट रह गया है।

श्री कपिलदेव सिंह—मुझे १० मिनट दिया जाय।

अध्यक्ष—१० मिनट तो नहीं ५ मिनट दिया जाता है।

श्री कपिलदेव सिंह—अच्छी बात है। १७ सूती मिलों को लायसेंस दिया गया। लेकिन उनमें से एक नोवानी को रामगढ़ और रांची के बीच में मिल बन रही है। आपने आदित्यपुर, बरौनी, बोकारो, रांची और पतरातू में औद्योगिक विकास की बातें कही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उन जगहों में औद्योगिक विकास किस हद तक हुआ है। आपने ४ वर्ष से ए० डी० एम० रैंक के एक ऑफिसर को आदित्यपुर में रखा है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कितना काम हुआ है और कितना रुपया खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बिहार भवन में एक आई० ए० एस० आफिसर भेजे गये हैं। मैं नहीं जानता कि वे किस मंत्री के लिये वहां चादर बिछायेंगे।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—वहां कोई आफिसर नहीं है।

श्री कपिलदेव सिंह—वहां आफिसर नहीं गये हैं लेकिन वहां एक आफिसर भेजे जानेवाले हैं।

अध्यक्ष—सरकार का विचार है कि वहां एक ऑफिसर रखा जाय जो केन्द्रीय सरकार से बिहार राज्य के कार्य कराने में मदद करें।

श्री कपिलदेव सिंह—आंध्र सरकार ने एक आफिसर को बहाल किया, लेकिन उस आफिसर ने आंध्र भवन में नहीं रह कर, विदेशी सरकार से मिलकर आंध्र में १६ फैक्ट्रियां खोलवाई। यदि ऐसी बात बिहार सरकार के लिये होती तो मैं इस सुझाव का स्वागत करता। मैं जानता हूं कि बिहार का आफिसर ऐसा काम नहीं करेगा। समय की कमी है इसलिये मैं अब कुछ नहर विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे इलाके में कुछ काम हुआ है जैसे किउल कनाल और मोरे स्कीम, जिनसे काफी लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन अन्धेर नगरी कहां है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हलसा थाना में मतासी ग्राम के श्री राम गुलाम सिंह हैं। उनको खेत १० एकड़ है लेकिन उनको नहर टैक्स १०० एकड़ का लगा है। अकौनी ग्राम के मंगर गोप हैं जिनके पास ३ कट्ठा खेत है, लेकिन उनपर १५ एकड़ खेत का नहर टैक्स लगा है। बभनगामा के सरयुग सिंह हैं, जिनके पास १९६१, १९६२ में १० एकड़ जमीन थी, लेकिन उनपर २३ एकड़ जमीन का नहर टैक्स लगा है। राम बदन सिंह के पास २८ बीघा जमीन है, लेकिन उनपर कुछ टैक्स नहीं लगा है। दोघा के चक्रधारी कोइरी को १० बीघा खेत है, लेकिन उनपर टैक्स ५५ एकड़ का लगा है। झांकर के सूबेलाल पासवान को १ बीघा खेत है लेकिन टैक्स ५५ एकड़ का लगा है। पतनेर के मुसमात रामकृपाल को ५ एकड़ जमीन है लेकिन नहर रेट १० एकड़ का लगा। डीहरा के बाबूलाल सिंह को खेत अधिक है लेकिन १ एकड़ का नहर रेट लगा है। कछियाना के रामनन्दन सिंह को १६ कट्ठा खेत है लेकिन रेट १० एकड़ का लगा है। गंगटा और कालमेरो में नहर नहीं है लेकिन नोटिस लोगों को दी गयी है। इस तरह से नहर विभाग में धांधली चल रही है, और लोग तबाह किये जा रहे हैं। इस राज्य में कुछ कंट्रोल नहीं है। १९६१ में एक प्लाउडेन

कमिटी इंगलैंड में बनी थी, यदि मुझे बजट के समय अवसर मिलेगा तो उस रिपोर्ट की में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। मैं आपके मारफत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार औफिसरों की बहाली में बड़ी गड़बड़ी करती है। एक उदाहरण देकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। आज सारे भारत में इस बात की चर्चा है कि कैरो की हत्या राजनैतिक कारणों से हुई है। लोक-निर्माण विभाग में श्री जे० एन० वर्मा की बहाली मुख्य इंजीनियर के पद पर हुई है, लेकिन सारे बिहार में इस बात की चर्चा है कि श्री जे० एन० वर्मा से एक मोटी रकम ली गयी है।

इस महीने की तीन तारीख को मुख्य मंत्री महोदय उनके प्रोमोशन की फाइल पर हस्ताक्षर किया है और उनकी बहाली चीफ इंजीनियर के पद पर हो गई और परसों कैबिनेट की मीटिंग में उसका एप्रूवल भी हो गया है। लेकिन श्री गौरीशंकर प्रसाद जो सामुदायिक विकास विभाग में हैं और उनसे सीयनर हैं उनकी नियुक्ति उनके बाद हुई है। लेकिन दोनों की नियुक्ति चीफ इंजीनियर के पद पर हो गयी है। श्री जे० एन० वर्मा के बारे में काफी शिकायत है और उनका भी प्रोमोशन हुआ, इसलिये इसकी आलोचना हो रही है। लोक-निर्माण विभाग में श्री नीलकंठ बाबू और श्री भवानन्द झा भी हैं लेकिन उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता है। श्री मुस्तफा हुसैन ज्वायन्ट डायरेक्टर, पशुपालन का केस पब्लिक सर्विस कमीशन में गया हुआ था जिसको कमीशन ने वापस कर दिया है। फिर भी छः महीने के लिये उनको रखा गया है। इनके द्वारा दो आदमी सुपरसीड हो गये हैं। एक शाह आफताब अहमद और दूसरे करनल इशहाक हैं, ये दोनों ८०० रु० से १,१५० रु० के सीनियर स्केल में हैं। अगर हमारे पास समय रहता तो मैं आपको पूरे विवरण के साथ इस तरह के और भी केसों के बारे में कहता लेकिन समय का अभाव है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है वह खतम हो गया और हमको आपका आदेश अक्षरशः पालन करना चाहिये। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार सचमुच बिहार राज्य का कल्याण चाहती है, मंत्रिमंडल का कल्याण चाहती है तो वह केवल ऐसा आदेश निकाले कि किसी औफिसर या कर्मचारी के पास कोई भी आवेदन-पत्र सात दिनों से अधिक दिनों तक नहीं रहे, और जो सात दिनों से अधिक रखेगा उसके खिलाफ सख्त कारंवाई की जायगी। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। यहां तो देखते हैं कि किसी फाइल को लेकर एक वर्ष मंत्री बैठे रहते हैं तो उनके अधिकारी दो वर्ष बैठ जाते हैं और इनका कर्मचारी चार महीना तक बैठता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर विचार करेगी और सोचेगी। चूंकि जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास उठ गया है, इसलिये सरकार अपनी खामियों को दूर करने के लिये चेष्टा करेगी।

श्री मोहन लाल गुप्त—श्री रमेश झा ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो

धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। निष्पक्ष आदमी को खामियों के साथ-साथ खूबियों को भी देखना चहिये, लेकिन विरोधी दल जब केवल खामियां ही नजर आवें तो बरबस कहना पड़ता है कि "गण ना हिरानो गुण ग्राहक हिरानों है"। अगर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहां कहां खूबियां हैं और कहां-कहां खामियां हैं दोनों को देखते तो पता चलता। परन्तु सिर्फ खामियां ही नजर आती हों तो इसका यह भी अर्थ है कि उनके दृष्टि-दोष के कारण उनको ऐसा नजर आ रहा है। खूबियों की ओर मुतलक भी ध्यान नहीं जाता तो कवि की यह वाणी याद आती है कि—

'व्रण की करती खोज मक्षिका, दिव्य बदन में
पता लगाता ऊंट नीम नन्दन कानन में'

सारा शरीर सोने की तरह देदीप्यमान हो परन्तु सारे शरीर पर जब भी मक्खी का ध्यान जाता है तो व्रण, घाव पर ही। इसी तरह से स्वर्ग के वन में तरह-तरह के फूल और फल होते हैं लेकिन ऊंट का ध्यान जब जाता है तब नीम और बबूल पर ही जाता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में केवल खामियां ही खामियां हैं और उसमें कोई खूबी नहीं है ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्यों को तो जहां पर तारीफ की बात है वहां पर तारीफ करनी चाहिये और जहां पर खामियां हों वहां पर शिकायत करनी चाहिये। लेकिन दृष्टि भेद होने से कभी ऐसी बात दिखलायी नहीं पड़ती है। विरोधी दल की ओर से केवल शिकायत की जाती है समर्थन की जगह पर समर्थन और विरोध की जगह विरोध होता तो हम कह सकते कि उनका सुझाव स्पष्ट है और आलोचना निष्पक्ष। अभी तक उनकी तरफ से एक तरफा न्याय किया गया है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत आंकड़े दिये गये हैं। यह बात सही है कि अभी हमारी सरकार को १७ वर्ष शासन करते हो गये लेकिन एक फूंक में ही सब दिन का कोढ़ कैसे ठीक हो सकता है छूमंतर करके। किसी के पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि सभी चीजों को तुरत ठीक कर दे। कांग्रेस की सरकार हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, सुधार का काम तो धीरे-धीरे ही होगा और फले फूलेगा। बात यह है कि दृष्टिभेद होने से विरोधियों को महामहिम राज्यपाल के भाषण पर कोई उत्साह नहीं होता। लेकिन हमको तो इससे उत्साह होता है। फर्क है तो केवल दृष्टिभेद का। जो आपका दृष्टिकोण है उससे भिन्न हमारा दृष्टिकोण है। इसपर दो बाल्टी की बात याद आ जाती है। दो बाल्टी एक कुएं पर थी। एक में उत्साह था और दूसरी बाल्टी में उदासीनता थी। एक आशावादी थी दूसरी निराशावादी। एक बाल्टी जो उत्साहहीन थी, कहती थी, क्या कहूं, मैं तो बड़ी अभागिन हूं? कैसे? उसने कहा मैं कुएं से भर भर कर लाती हूं और ऊपर खाली हो जाती हूं। दूसरी जो आशावादी और उत्साहपूर्ण थी बोली "सखी मैं तो बड़ी सुहागिन हूं। मैं तो खाली हाथ जाती हूं और भर-भर लाती हूं। यह तो दृष्टिकोण का भेद है। आपके दृष्टिकोण में और मेरे दृष्टिकोण में भेद है और इसीका नतीजा आज यहां पर देखने में आ रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में बहुत से आंकड़े दिये गये हैं जिनको देखने से हमलोगों का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। माननीय सदस्य श्री कपिलदेव सिंह ने भी इन आंकड़ों का जिक्र किया है लेकिन उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे तो राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत ही उत्साहवर्द्धक आंकड़े मिले हैं, जिनसे आशा बंधती है कि यदि हमलोगों का सहयोग मिला तो बिहार में दिनानुदिन प्रगति हो सकती है। जहां १९६३-६४ में योजना का आधार ५०.४६ करोड़ का ही था, वहां भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त हो जाने के कारण उसका आकार अब ७६.६४ करोड़ का हो गया है। जहां १९६३ साल में २,४३,२५७ टन खाद्यान्न प्राप्त किया गया था, वहां १९६४ के ११ महीनों में ५,६९,००० टन खाद्यान्न प्राप्त किया गया। इसी प्रकार जहां १९६४ के शुरू में फेयर प्राइस दूकानों की संख्या केवल ९,३६३ थी वह १९६४ के नवम्बर महीने तक १६,६५९ हो गयी। क्या ये आंकड़े संतोषजनक और उत्साहवर्द्धक नहीं हैं? इसी तरह से कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता जहां पहले १४.०२ लाख टन से अधिक नहीं थी, वहांपर अब उसे बढ़ाकर ६० लाख टन तक कर दी गयी है, फिर ६६ लाख टन, फिर ७० लाख टन और १९६५-६६ में यह क्षमता ७५.०२ लाख टन तक हो जायेगी। इसी तरह से ईख उत्पादन के क्षेत्र में १९६२-६३ में जहां यह ४८.५० लाख टन हो गया था वहां हमारे कठिन प्रयास के कारण इस योजना काल के अन्त तक ७३ लाख टन हो जाने की आशा है। इसी प्रकार चीना बादाम और कपास की खेती की हालत है। यह पर चीना बादाम और कपास की खेती को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो आंकड़े महामहिम राज्यपाल के

अभिभाषण में दिये गये हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे मालूम होता है कि हमलोग उन्नति की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से बिजली के उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में भी प्रगति होती जा रही है। बरौनी में १५ मेगावाट की दो मशीनें काम कर रही थी, वहां अब ५० मेगावाट की दो और मशीनों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। पतरातू पावर स्टेशन के लिये भी ५०० मेगावाट के लिये रूस से सामान आ रहा है। खनिज पदार्थों से राज्य को होनेवाली आय को भी देखें तो हमारा और उत्साह बढ़ता है। १९६२-६३ में जहां खनिज पदार्थों से हमारी आय केवल ९६.०१ लाख थी वहां १९६३-६४ में वह बढ़कर २४२ लाख हो गयी, और १९६५-६६ में तो उससे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से कच्चे लोहे का उत्पादन भी ४० लाख टन से बढ़ाकर २ करोड़ टन तक कर देने की योजना है। सड़क निर्माण में यथेष्ट प्रगति हो रही है। नेशनल हाईवेज भी बन रहे हैं और मैं तो नेशनल हाईवेज के नजदीक में रहनेवाला हूं और इससे जानता हूं कि इन सड़कों के निर्माण से लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है। लोक निर्माण के मंत्री, श्री राम लखन सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे प्रयास करके गंगा नदी में पटने के नजदीक पुल बनवा रहे हैं। इसके लिये वे काफी प्रयास कर रहे हैं।

मैं तो कहना चाहता हूं कि भगीरथ ने प्रयास कर पृथ्वी पर गंगा को लाया और हमारे यादवजी भागीरथ प्रयास कर रहे हैं उसपर पुल बांधने के लिये।

(हंसी)

शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। स्कूलों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है वह प्रशंसनीय है।

सहकारिता आन्दोलन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके प्रभारी मंत्री लगनशील और परिश्रमी हैं और इसके परिणामस्वरूप जहां १४,५०० कोऑपरेटिव सोसाइटीज थीं, वहां आज ३७,७२५ हो गयी हैं। ये सब आंकड़े हैं। लेकिन इन सब आंकड़ों के बावजूद, इतनी तरक्की होते हुए भी, क्यों निराशा है, क्यों मायूसी का वातावरण है? अभीतक तो मैं खूबी की चीजों को लिया, अब मैं खामियों की आलोचना करना चाहता हूं और मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि को कोई ईर्षा की भावना नहीं है, कोई गुटबन्दी नहीं है। आलोचना की पृष्ठभूमि में सद्‌भावना है। जहांतक हो सकेगा मैं रचनात्मक सुझाव ही दूंगा। आज आपकी व्यवस्था में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, जातीयता है। नौकरी के प्रोत्साहन में धांधली होती जा रही है। इन सब चीजों में सुधार होना चाहिये। अभी लेवी की योजना आप चला रहे हैं। जनता कहती है, सरकार की तरफ से लेवी है तो कुछ "दे भी" तो होना चाहिये (हंसी) कन्ट्रोल की बात को लीजिये। मैं मानता हूं कि यह केवल इस स्टेट की बात नहीं है, यह भारत सरकार की बात है। मैं कन्ट्रोल की मुखालिफत करता हूं। मैंने बराबर इसका विरोध किया और आगे भी विरोध करता रहूंगा। यह गांधीजी का देश है और गांधीजी ने कहा है कि कन्ट्रोल भ्रष्टाचार का जनक और जनता के नैतिक स्तर को गिरानेवाला भयंकर दानव है। इसलिये यदि बिहार स्टेट केन्द्र के सामने इस चीज के कन्ट्रोल का विरोध करता तो भारत के मानचित्र में बिहार का स्थान ऊंचा रहता। आप देखें कि चीनी का दाम पहले १५ आना सेर था मगर ज्योंहि आपने इसको छूआ इसका दाम १ रु० ६ आना सेर हो गया, धान का दाम जहां १२-१३ रुपया हो रहा था, आपके छूने के बाद १८—२० रुपया हो गया, चावल का दाम २०—२२ रुपया तक आ गया था, मगर आपके छूने के बाद ३२ रुपया हो गया। यहां तक कि कपड़ा में भी

८ आना दाम में तेजी आ गई। यही तो कन्ट्रोल का नतीजा होता है। इस संबंध में मुझे तुलसीदास जी के ये शब्द याद आते हैं कि—

जंह-जंह चरण दे हैं हनुमन्ता,
सो चलि गयउ पताल तुरन्ता।

संयोग की बात है कि सरसो तेल पर कन्ट्रोल नहीं लगाया गया तो नतीजा यह हुआ कि प्राकृतिक कारण से भाव में तेजी आयी थी और फिर अब प्राकृतिक कारण से वह भाव नीचे गिर रहा है। जनता इस बात को जानती है कि प्राकृतिक कारण से भाव में तेजी आई थी और अब प्राकृतिक कारण से ही उसका भाव नीचे गिरता जायेगा। आप देखें की अपनी व्यवस्था में कहां गड़बड़ी है।

आप सप्लाई आफिस को देखें वह भ्रष्टाचार का केन्द्र बना हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर सप्लाई आफिस इमानदारी से काम करे तो ऐसी हालत में नहीं होगी। आज क्या होता है। आज होता यह है कि व्यापारी लोग सप्लाई आफिस की छत्रछाया में ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं, अनाचार और अत्याचार करते हैं। आपको इसे देखना चाहिये। जब पुरुष और स्त्री में झगड़ा होता है तो न पुरुष मारता है स्त्री को और न स्त्री मारती है पुरुष को, बल्कि अगर उस समय कोई बच्चा बीच में आ जाता है तो उसी निर्दोष बच्चे को तमाचा दे दिया जाता है उसी पर गुस्सा उतरता है। यही हालत आज की है। आज न सरकार मारती है जनता को और न जनता मारती है सरकार को, बल्कि बीच में मार खाते हैं व्यापारी, बनिए और व्यवसायीवर्ग। व्यापारियों पर ही सारा क्रोध उतारा जाता है और उन्हीं को पकड़ा जाता है, उन्हीं को जेल दिया जाता है और उन्हीं को डी० आई० आर० में भी चालान किया जाता है। वह बेचारा क्या करे, वह आह भर कर रह जाता है। जब तक ये सारे काम चलते रहे अन्न का भाव बढ़ता ही गया, लेकिन अब देखिए की भाव धीरे-धीरे गिरता जा रहा है और भी गिरेगा।

अब मैं अस्पताल की दुर्दशा के बारे में कहना चाहता हूं। आज डाक्टर के यहां मरीज जाते हैं और अपनी दुख की बात कह भी नहीं पाते हैं कि झट से डाक्टर लोग रिपीट लिख देते हैं। आजकल रिपीट लिखना फैशन में आ गया है। दूसरी बात यह है कि डाक्टर एक ही है अगर उससे अस्पताल में इलाज कराइये तो वहां जो दवा वह लिखेगा अगर उससे उसके घर पर दिखाइये तो दवा बिल्कुल बदल देता है। मेरे कहने का मतलब है नुस्खा में फर्क हो जाता है। आप मुजफ्फरपुर में जो अस्पताल का मकान है उसकी तरफ ध्यान दीजिये, क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं है।

अब मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज भारत में जितने भी सूबे हैं, सभी में सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा के लिये और उसके काम के लिये पचास हजार और एक लाख रुपये तक देती है। यहांतक कि भारत सरकार भी ऐसा करती है, लेकिन हमारे सूबे में इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं है। आप आज डाक्टरों की फौज बढ़ाते चले जा रहे हैं, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं, दवा की दूकानें बढ़ती जा रही हैं। मैं कहता हूं कि इस एलोपैथिक दवा से रोग को आप सिर्फ दबा सकते हैं, लेकिन इस दवा से कोई नागरिक स्वस्थ नहीं किया जा सकता है। यह सिस्टम रोगी को स्वस्थ होने का मार्ग-दर्शक नहीं हो सकता है। यह तो सिर्फ रोग को दबाया सप्रेस ही कर सकता है। मेरा कहना है कि प्राकृतिक चिकित्सा के जरिये रोग अच्छा हो सकता है, रोग को प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर उसको प्रोत्साहन दिया जाय। मैं आपसे जोरदार मांग करता हूं कि यह प्राकृतिक चिकित्सा जो अभी इस सूबे में है वह कोमल दुधमुंहे बच्चे की तरह है और उसको आपके लाड़-प्यार करने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत

है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इसके लिये कम से कम एक लाख रुपये का अनुदान दे दें तो मेरा विश्वास है कि यह एक-एक पैसे का उपयोग करेगा, यह रुपया सार्थक होगा। आज अगर हमारे टेबुल पर दवा की शीशी है तो वह यह संकेत करता है कि मैं रोगी हूं और अगर एक भी शीशी नहीं है तो वह यह संकेत करता है कि मैं नीरोग हूं। एक कहावत है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा दी। पहले सिर्फ पटना में ही अस्पताल था, लेकिन अब जिला, सबडिवीजन और गांव-गांव में भी अस्पताल होता जा रहा है। अब तो मोबाइल डिसपेंसरी भी चालू हो गयी है और दवा का वातावरण बढ़ता जा रहा है पर स्वस्थ होने का वातावरण नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्वस्थ होने का वातावरण है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वस्थ विशेषज्ञों समाज-सेवियों और रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन बुलावें और उनसे इसके बारे में पूछें। उनके कहने के मुताबिक आप इसके लिये एक योजना बनावें और इस संबंध में आप विचार करें।

इसी तरह से निवेदन है कि स्वास्थ्य की योजना के बारे में भी आप विचार करें और उदारता पूर्वक जैसे कोई अपने बच्चे को लाड़-प्यार करता है उसी तरह से आप इसके लिये विचार करें और मदद करें।

इसके अलावा मुजफ्फरपुर इम्प्रूवमेंट स्ट की तरफ भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मुजफ्फरपुर में है। आपका मकसद बहुत अच्छा था कि इससे काम होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं वह छिपी नहीं हैं। म्युनिसिपैलिटी में नक्शा पास कराने के लिये जहां पहले ५-१० रु० खर्च होते थे वहां आज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में १००, २०० रु० लोगों को देने पड़ते हैं, ऐसी तबाही वहां हो रही है। आप कहेंगे कि सबूत दो सबूत देने को तैयार नहीं हैं। राम राज्य में जैसे राजा लोग गुप्त रूप से घूमा करते थे, वैसे ही आप घूमकर पता लगायें और मकानवाले से पूछें कि नक्शा पास कराने के लिये उन्हें क्या करना पड़ा है और कैसे पास हुआ है। सड़कों, गलियों और रोशनी की जो हालत है वह ऐसी ही है कि सारा मुजफ्फरपुर नरक बना हुआ है। वहां एक शहीद स्मारक है जो शहीदों की याद में बना हुआ है। उसको तीन कोना काट दिया गया है लेकिन एक कोना आजतक नहीं कटा है। १६ साल आजादी को हो गये, मैंने मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, कलक्टर, एस० पी० और एस० डी० ओ० से बातें कीं लेकिन वह आजतक नहीं हो सका। मेरा लोक-निर्माण विभाग के मंत्री से निवेदन है कि वे कभी मुजफ्फरपुर आयें तो उसी समय वहां खड़े होकर आदेश दें कि यह कोना भी काट दिया जाये।

एक बात और अस्पताल के बारे में कहना यह है कि आपका सर्जिकल साइड बहुत काफी चमकता जा रहा है इसमें दो राय नहीं है......

अध्यक्ष—शान्ति, मेरी लाचारी भी बढ़ती जा रही है, आपका समय हो गया।

श्री मोहन लाल गुप्त—हुजूर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि आपका

सर्जिकल साइड काफी चमकता जा रहा है लेकिन मेडिकल साइड का रेपुटेशन बहुत कम होता जा रहा है। अस्पताल में लोग इसलिये नहीं जाते हैं कि अच्छे हो जायेंगे, बल्कि इसलिये जाते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग डाक्टर की फीस नहीं दे सकते दवा नहीं खरीद सकते और अच्छा खाना नहीं खा सकते। इसलिये आप इसकी तरफ जरा ध्यान दें और

पूरी मदद करें। इस दृष्टिकोण से में आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक चिकित्सा के लिये अधिक पैसा दें और मदद करें।

इन शब्दों के साथ में श्री रमेश झा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नागेश्वर दत्त पाठक--अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद

ज्ञापन का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण के सुनने और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो आम लोगों की कठिनाइयां हैं उनका वर्णन बहुत हल्के-हल्के से किया गया है। जो उपलब्धियां हैं उनको बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है और जो आगे होनेवाले खर्च हैं उनके संबंध में भी अधिकतर ऐसा ही किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमें सर्वेक्षण करना है तो इसके लिये कुछ आधार हैं। हमें देखना होगा कि आज समाज में लोगों की नैतिकता कैसी है, चाहे वे सर्विसेज में हों, राजनीति में हों, या जिस भी काम में हों। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि समाज की व्यवस्था कैसी है। लोगों के जीवन में कुहराम है या शान्ति है, इसकी ओर भी ध्यान देना होगा। पीड़ित , शोषित आदि लोगों के लिये जो हम कानून बनाते हैं उन्हें सचमुच लाभ पहुंचा सके हैं या नहीं? समाजवाद जो हमारा राष्ट्रीय घोषित लक्ष्य है, उसकी स्थापना की व्यवस्था है या नहीं? हमारा जो इन चीजों के लिये कदम उठ रहा है वह सही कदम है या नहीं? जिस हद तक हमारा कदम उठना चाहिये उस हद तक उठ रहा है या नहीं? इन तमाम चीजों को हम कसौटी पर रखेंगे और तौलेंगे तो हम देखेंगे कि नैतिकता की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं, आज समाज की जो हालत है वह सभी को मालूम है। खाने के लिये शुद्ध खाद्य हमें नहीं मिलता, दवा में मिलावट, टेक्स्ट बक्स में मिलावट, सभी चीजों में मिलावट ही मिलावट। अध्यक्ष महोदय, आज सभी लोग इन चीजों से पीड़ित हैं।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर श्री भोला पासवान ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

सभापति महोदय, मैं समाज की नैतिकता की चर्चा कर रहा था। इस संबंध में अंग्रेजी कवि की एक पंक्ति याद आती है।

"If every body could look to his own reformation how very easily he might reform a Nation"

आज समाज के जो कर्णधार हैं, उनके ऊपर विशेष जिम्मेवारी है, उनको यह देखना होगा कि उनके कहने और करने में सामन्जस्य है। कहा जाता है कि विकास का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, सिंचाई का काम हुआ। जिस अनुपात से क्वांटीटी में वृद्धि हुयी है, क्वालिटी में ठीक रिवर्स रेशियों में ह्रास हो रहा है। यह ठीक है कि क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी में डिटरिओरेशन हो रहा है। कन्ट्रोल की अगर आवश्यकता हो तो कन्ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारी कन्ट्रोल की मेशीनरी ठीक नहीं है तो कन्ट्रोल से जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल सकती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। यही कारण था कि १९४८ में गांधीजी ने कहा था चाहे जो भी चीजों की कमी ही क्यों न हो, जिसकी वजह से लोगों को कष्ट भी पहुंचे किन्तु कपड़े पर कन्ट्रोल हटा दिया जाय। कन्ट्रोल को लेकर भ्रष्टाचार जो फैल रहा था, समाज के ऐसे अंग में जहां भ्रष्टाचार का प्रवेश नहीं था। जब गांधीजी ने कहा था कि कपड़े की कन्ट्रोल को डीकन्ट्रोल करने की जरूरत थी, सचमुच कपड़े पर डीकन्ट्रोल हुआ।

मैं यह कह रहा था कि आज समाज के हर क्षेत्र में यदि गौर कर देखें तो मालूम होगा कि कम या बेशी हर जगह अशांति है। नौकरी में जो लोग हैं, खास कर तो कम तनखाह पानेवाले हैं उनके अन्दर बेचैनी है। मैं यह नहीं कहता कि वे जो हड़ताल करते हैं, स्लो-डाउन करते हैं वह ठीक है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन वस्तुस्थिति जो है वह यह है कि वहां आज हड़ताल है, स्लो-डाउन है। उनके अन्दर असंतोष है। सैकड़ों ऐसे केसेज हैं जहां सुपरसेशन हुआ है, पांच-पांच, सात-सात वर्षों से केसेज हैं, जिनके ऊपर चार्ज लगाया गया, ससपेंड किये गये लेकिन वर्षों तक सरकार को फुर्सत नहीं मिली कि उनके ऊपर कोई फैसला ले। मिसाल के लिये कहता हूं। एक बंगाली सज्जन हैं गौनाहा के बी० डी० ओ०। पांच वर्ष पहले उनका ससपेंशन हुआ, लेकिन अभी तक उनके केस का फैसला नहीं हुआ। क्या इसके चलते उनके बाल-बच्चों पर असर नहीं पड़ता है। उनको परेशानी हो रही है। मैं मानता हू कि सूबे में इस तरह के बहुत से केसेज होंगे। नौकरियों में कहीं तो अपनी पैरवी से काम चलाते हैं और कहीं घूस से। मैंने बराबर इस सदन में कहा है कि व्यक्ति के ऊपर दोष लाना मैं उचित नहीं समझता, इसलिये कि मैं मानता हूं कि पद्धति जो होनी चाहिये वह पक्की होनी चाहिये। किसी काम को करने के लिये जो नियम हो उनपर हमलोगों को आचरण करना चाहिये। कुछ दिन पहले इसी राज्य में विद्यालयों में कास्ट-राइट हुए। बड़ा दुःख होता है। २--४ दिन पहले मोतिहारी नगर में विद्यार्थियों ने बसवालों से मारामारी की। एक बसवाले को छूरे से काट दिया गया और कितने आदमी अस्पताल में पड़े हुए हैं। जहां सरस्वती मंदिर में लोग इसलिए जाते हैं कि अनुशासन सीखें, आगे चलकर समाज की किस तरह सेवा की जाय यह सीखें, वहां की यह हालत रही, तो मैं मानता हूं कि गंगोत्री ही हमलोगों की खराब है और जब गंगोत्री ही खराब है तो नीचे सफलता कभी नहीं आ सकती है।

किसानों को देखें। जितने बड़े-बड़े किसान हैं, जितने बड़े प्रभावशाली किसान हैं वे सब तरह का फायदा उठा लेते हैं और जो छोटे-छोटे किसान हैं वे सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं। खाद प्राप्त करने की बात हो या और कोई बात हो, आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि छोटे-छोटे किसान को समय पर जो चीजें मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती हैं।

राज्य सरकार ने घोषणा की कि हरिजनों की नियुक्ति हर विभाग में अमुक रेशियो में होनी चाहिए। इसे भी आपको देखना है। अगर सही माने में आपको समाजवाद लाना है तो आपको चाहिए कि देखें कि आपके आदेश का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। यदि आपके आदेश का पूरी तरह पालन नहीं होता है तो क्रमशः लोगों का सहयोग भी नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए कुछ जमीन दी जायगी पर उनको बसने के लिए अभीतक जमीन नहीं दी जा सकी है।

हवा के बाद अगर मनुष्य के जीवन में किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है पानी। इतना विकास हो जाने के बाद भी खासकर हरिजनों की बस्ती में या गरीबों की बस्ती में पेयजल की बहुत कमी है। ट्यूबवेल या कुएं बनते हैं तो नियम है कि ५० परसेन्ट या २५ परसेन्ट पैसा लोग दें। शहर में विकास के काम होते हैं वहां तो ५० परसेन्ट या २५ परसेन्ट नहीं मांगते हैं लेकिन जहां गरीब बसते हैं वहां ५० परसेन्ट और २५ परसेन्ट मांगते हैं। तो जहां गरीब और हरिजन बसते हैं वहां पीने के पानी के लिए दाम देना कठिन हो जाता है।

हाल में दुर्गापुर में अधिवेशन के मौके पर आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था तो कहा गया कि उद्योग-धन्धों को एक ही जगह में खड़ा करना उचित नहीं है, इसे भिन्न-भिन्न जगहों में फैलाया जाय। केवल शहरों में ही उद्योग-धन्धे खड़े किए जायें तो भारत की आर्थिक समस्या का हल नहीं होगा। जबतक गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधे रोजगार न खड़े किए जायं तबतक सही माने में गरीबों को आप राहत नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि देहातों में छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को खड़ा करें जिससे गरीबी दूर हो सके और गरीबों को कुछ मदद मिल सके।

ट्रांसपोर्ट की समस्या है। अब तो इसके नेशनलाइजेशन की बात चल रही है लेकिन जहां प्राइवेट बसेज हैं वहां कहा जाता है कि उन्हीं को रूट मिलेगा जिनको इसका अनुभव होगा। इसका मतलब है कि जिनको २ है उनको ३ हो जाय, जिसको ३ है उसको ४ हो जाय और वह बढ़ता चला जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले-पहल जिनको रूट मिला उनको कैसे अनुभव हुआ था। मैं समझता हूं कि यह भ्रष्टाचार का तरीका है।

सभापति (श्री भोला पासवान)—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री नागेश्वर दत्त पाठक—अब अन्न संकट के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

जो भी नियम सोच-समझकर बनाया जाय, उसे वापस नहीं लिया जाय, उसपर आरूढ़ रहें।

सभापति महोदय, एक दिन मैं देख रहा था कि हमारे थाने से पांच बैलगाड़ी हमारे जिले में ही जा रही थीं और उसपर पुलिस के सिपाही झपटे हुए थे और उनसे रुपया मांग रहे थे। इसी बीच में वहां पहुंच गया और उस सिपाही का नाम वगैरह नोट करने लगा तो वह मांफी मांगने लगा तो मैंने छोड़ दिया। इस तरह की बात होती है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि एक ही प्रान्त के जिलों में चेक-पोस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। हां, जब एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में गल्ला जाने लगे तो उसे रोका जाय और वहां चेक-पोस्ट रहना मुनासिब है।

सभापति (श्री भोला पासवान)—अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री नागेश्वर दत्त पाठक—एक मिनट और समय दिया जाय।

सभापति महोदय, अब मास एजुकेशन के सम्बन्ध में कुछ बात करना चाहता हूं। एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लैनिंग कमिटी हमारे जिले में बनी और उसमें दो-दो, तीन-तीन बार उसके सदस्यों का नाम जोड़ा गया। वहां युनिट का बंटवारा होता है। शिक्षक नियुक्त होते हैं। इन कामों में खास अंचल के लोगों को तरजीह मिलती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लैनिंग कमिटी में उस जिले के सभी एम०एल०ए० सदस्य रहें, चाहे वह कांग्रेस के पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के, तभी यह रोग दूर होगा। जब लड़के मिडल पास करते हैं तो उन्हें डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ एजुकेशन के यहां काउन्टरसिगनेचर के लिए जाना पड़ता है जिसके चलते लड़कों को काफी असुविधा होती है, उन्हें रुपये खर्च करके जाना पड़ता है और वहां भी कुछ रुपया खर्च करना पड़ता है। अतः मैं चाहता हूं कि यह चीज उठा दी जाय ताकि लड़कों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

सभापति महोदय, आज मिडल स्कूल, अपर स्कूल या हाई स्कूल किसी के भवन की भी हालत अच्छी नहीं है। बरसात में इनके भवन का छत इतना चूता है कि लड़कों को बैठना

मश्किल हो जाता है और कहीं-कहीं तो स्कूल का भवन ही नहीं है । अतः भवन-निर्माण करना बहुत आवश्यक है ।

(सभापति) श्री भोला पासवान—अब आप बैठ जायं ।

---

*श्री रउफूल आजम—सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद का चौथा दिन है । इस सिलसिले में मैं हुजूर के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें पेश करना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो कि संविधान के अन्दर महामहिम का अभिभाषण कैसा होना चाहिये । उसके अन्दर कौन-कौन चीज होनी चाहिये और कौन-कौन काम सरकार करने जा रही है, इसका नक्शा होना चाहिये । यह तो एक आईना है जिसके जरिए इंसान अपनी सूरत को देख सकता है और समझ सकता है कि उसकी सूरत की क्या हालत है और वह कौन-सा उपाय करे कि उसकी सूरत और अच्छी हो जाय । अभिभाषण इशारा करता है कि सरकार और राज्यपाल दोनों एक ही हैं । सरकार क्या-क्या करने जा रही है और उसने कबल में क्या-क्या किया है और क्या सुधार करने जा रही है, इसका एक नक्शा पेश होता है । इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका आइन्दा बजट क्या होगा । मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा और सुना भी है, तीन साल से बराबर सुनता आ रहा हूं । लेकिन मुझे यही मालूम हुआ है कि यह बहुत ही डल ऐटमासफीयर क्रिएट करता है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे मालूम हो कि बिहार तरक्की करने जा रहा है । इसमें कहा गया है कि हमारी पैदावार ७५.०२ लाख टन होगी और ईख की पैदावार ३ लाख टन होगी । हमें बहुत खुशी हुई कि इतनी पैदावार होगी मगर इसके अन्दर यह नजर नहीं आया कि किस स्टेप के जरिये हम इस टारगेट पर पहुंचेंगे । मैं सरकार से और चीफ मिनिस्टर साहब से जिनकी ओर जनता टकटकी लगाये हुए है और जो बहुत ही प्रगतिशील माने जाते हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने या कृषि मंत्री ने कोई स्टेप लिया है जिससे हमारी पैदावार बढ़े । जो पैडी एरिया है उसके लिये क्या आपने किया है, इसके लिये कौन-सा इन्तजाम किया है जब से आप चीफ मिनिस्टर या कृषि मंत्रीजी, कृषि मंत्री हुए हैं ? माइनर इरिगेशन स्कीम हर जगह है और उसके लिये आप इंजीनियर, एस०डी०ओ० तथा ओवरसियर बहाल कर लेते हैं । मेरे क्षेत्र सिकटा के लिये ४२ माइनर इरिगेशन स्कीम हैं, लेकिन वे सभी पड़ी हुई हैं, ठप हैं । उनके लिये अफसर टी०ए० भी लेते हैं मगर आजतक उनका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है । पता ही नहीं लगता है कि कहां पर रेकर्ड है और क्या कार्रवाई हो रही है । ईख के लिये बहुत-सा एरिया एक मिल के लिये टैग कर दिया जाता है और फिर बदल भी दिया जाता है ।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि सिकटा के दोनों थाने फ्री एरिया के अन्दर पड़ते हैं । इसको आपने रिजर्व नहीं किया, आज वे मिलओनर्स की मरसी पर पड़े हुए हैं । वहां की हालत बहुत दयनीय है । ईख भी नहीं पहुंच पाती है । ऐसी हालत में आप किस कदर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ? आप खाद के जरिए खाद्यान्न पैदा करना चाहते हैं । हमारा बोर्डर एरिया है, नो-मैन्स एरिया है, एग्रिकल्चर का इन्चार्ज बनाया है वहां के प्रोजेक्ट अफसर को । मैं नहीं समझ सकता हूं कि क्या वजह है कि उस एरिया में आपकी खाद और यूरिया नहीं बंट पाती है । इस एरिया के लोगों के नाम पर खाद ली जाती है और उसको नेपाल पहुंचाया जा रहा है । नेपाल के वीरगंज में चीनी कारखाना खुला है इसलिये वहां नजदीक होने के कारण खाद भेजी जा रही है । मैंने इसके मोतल्लिक वजीरे आजम का तवज्जह राइटिंग में दिलाया था । इसके मोतल्लिक कुछ ध्यान देना मुनासिब है और कम से कम उस प्रोजेक्ट अफसर से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सिकटा की जनता को मुक्त करें और

बचावें। क्या वजह है कि उनके नाम पर खाद भेजी जाती है, लेकिन दूसरे किसी को भेज दी जाती है। ऐसी हालत में प्रोटेक्शन क्या होगा? दूसरे अफसर को वहां भेजें।

इन्डस्ट्रीज के मोतलिक चम्पारण का एरिया बहुत दबा हुआ है। इन्डस्ट्रीज के नाम पर सिर्फ चोनी मिल हैं। मेहरबानी करके वहां के एरिया को रिजर्व कर दें। यहां राइस मिल्स हैं। क्या तमाशा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पैडी लेवी का ड्राइव हुआ, जितनी बड़े-बड़े राइस मिलें थीं उनके मिल-मालिकों ने अपने मिलों को बन्द कर दिया। जनता को एक पाव गल्ला मिलना मुश्किल हो गया है, वे अब उसना चावल तैयार करते हैं। उसना चावल हमारे यहां के लोग नहीं खाते हैं, अरवा चावल खाते हैं। छोटी-छोटी मिलें हैं जिनको अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया और उसके निस्बत आपका यह नियम बना है कि १९५७ का जिसका लाइसेंस है उसीको लाइसेंस दिया जायेगा लेकिन १९६०, १९६२ या बाद को जो मिल हैं उसको लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा। पौलिसी यह होनी चाहिये कि जितनी भी छोटी-छोटी मिलें हैं जो १०-५ मन धान कूटती हैं उनको लाइसेन्स मिल जाय वरना लाइसेन्स लेने में वह धांधली है कि रांची जाकर तीन सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ये मिल बेकार हो जाती हैं बिना लाइसेन्स के और एक-एक पाव गल्ला के लिये लोग परेशान हो रहे हैं। आपने पैडी लेवी ड्राइव शुरू किया, आपने सोचा कि यह काम करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं जो नरकटियागंज का है। वह मैटर सबजुडिस है लेकिन इतना कहना चाहता हूं इस ग्राउन्ड पर कि २५ गाड़ीवान को इसलिये गिरफ्तार किया गया है कि उसने १ रु० अधिक लेकर अनाज खरीदा और इस तरह उन गाड़ियों को रोक लिया गया।

दूसरी बात है माइनोरिटीज को आप कैसे प्रोटेक्शन देंगे? यह महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी तरफ जनता की नजर लगी हुई है। मैं सी०एम० का प्रोटेक्शन सीक करना चाहता हूं इस प्वाएन्ट पर कि ग्रेभ यार्ड को बचाया जाय। आश्वासन दिया गया कि सरकार उसको देखेगी लेकिन हुक्काम जो वहां हैं उनको यह जिद है कि असेम्बली के ऐश्योरेन्स का क्या वजन है? मैं खुद सरजमीन पर गया। वहां चारों तरफ मजार है, मुसलमानों का एक टोला है जो धोबी-टोला कहलाता है। वहां पांच छः कब्रिस्तान हैं और उनको तोड़ने के लिये कोशिश है। वजीरआला को हमने यह मामला पेश कर दिया है और हुक्काम मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं तो वे खुद देख लें और अगर कब्रिस्तान नहीं पाया जाय तो मैं सरे तसलीम खम करने के लिये तैयार हूं। दूसरी चीज में वजीरआला की तवज्जह भागलपुर की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। मैं अर्ज करूंगा कि रिजरवेशन आफ सीट्स सिर्फ बैकवर्ड हरिजन को ही न रहे बल्कि जो भी बैकवर्ड हों उन सबों के लिये रहे। हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसके लिए हमलोग मुनतजिर हैं कि कबतक यह वादा फुलफिल होगा। आखिर में मैं यह इलतेमास वजीरआला से करना चाहता हूं कि कम-से-कम चम्पारण को भी जहां इन्डस्ट्रीज की जगह है वहां एक स्थान दें और इन्डस्ट्रीज को फरोग दें। आयल इन्जिनों को लाइसेंस दें इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बिहार की

हालत दयनीय है। हमारे दोस्तों ने आंकड़े सदन के सामने रखे हैं। मेरे पास भी आंकड़े हैं। १९६०-६१ के मुताबिक हमारी आमदनी प्रति व्यक्ति २०० रु० की थी, जो सारे हिन्दुस्तान से बहुत कम थी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें तरक्की करनी है मगर किसी लड़के को घर में भी, स्कूल में भी, और बाहर भी डांटा जाए, तो उसकी तरक्की नहीं होती है। देखना पड़ता है कि किसी दिशा में उस लड़के ने तरक्की की है या नहीं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि जिस तरह से

लोग समझते हैं कि हर बात में बिहार पीछे पड़ा हुआ है, वैसी बात नहीं है। दिल्ली के नेशनल कौन्सिल आफ एप्लायड एकोनोमिक रिसर्च नामक गैर-सरकारी संस्था है, जिसके अध्यक्ष हैं, डा० पी०एस० लोकनायन। यह ठीक है कि यह सरकारी संस्था नहीं है लेकिन भारत सरकार की ओर से इसको समर्थन मिला हुआ है और इसकी बड़ी इज्जत है दिल्ली में और सारे देश में भी। योजना आयोग जो आंकड़े तैयार करता है, इनके लिए वह बहुत कुछ इसपर निर्भर करता है। ४ जनवरी, १९६५ का जो प्रकाशन डा०पी०एस० लोकनाथ का है, उसका कुछ अंश मैं आपके सामने रखता हूं। यह किताब अंग्रेजी में है और मैं उसको अंग्रेजी में वह पढ़ दूंगा, लेकिन उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ-साथ करता जाऊंगा।

"Amongst the States which recorded higher rate of growth, only Maharashtra, Gujarat and Punjab recorded 'higher than national average' growth-rates both in agriculture and manufacturing industry sectors whereas in case of Madras, Madhya Pradesh and Bihar, rapid growth in agriculture sector is mainly responsible for comparatively higher rates of growth."

कहने का सारांश यह है कि महाराष्ट्र गुजरात और पंजाब के राष्ट्रीय विकास ग्रोथ की जो वृद्धि दिखलायी गयी है उसकी धारणा है कि कृषि और उद्योग में प्रगति इधर मद्रास, मध्यप्रदेश और बिहार में जो वृद्धि नजर आती है वह खेती में वृद्धि के कारण है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उद्योग-धंधे के मुकाबले में बिहार में वृद्धि कम है। द्वितीय योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई, वह हमारे प्रान्त में अन्य कई प्रान्तों से, यानी सारे देश की औसत आय से कम हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। उसकी हेडिंग है :—

"Statewise estimates of growth of different sectors during the First Two Plans.

१९५१-५२ से लेकर १९६०-६१ तक के ये आंकड़े हैं। खेती में जहां सारे देश में प्रगति का आंकड़ा ३२.३ है, वहां बिहार का आंकड़ा है ५०.३। उद्योग-धंधे में जहां सारे देश का आंकड़ा है ६२.९, वहां बिहार का आंकड़ा है ३१.६। बिहार उद्योग-धंधे में कमी है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन खेती के मामले में हमलोगों ने तरक्की की है इस क्षेत्र में हमारा आंकड़ा है ५०.०३, जहां सारे भारतवर्ष का आंकड़ा है ३२.३।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—यह आंकड़ा कब का है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—कहिये, कहिये, क्या कहना चाहते हैं ? आपकी मिठी लागे बोल।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—यह जो आंकड़ा है उसको उन्होंने क्या विजिट करके दिया है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह तो आप डा०पी०एस० लोकनाथन से पूछिये। और ज्यादा समझना चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली जाइये।

तो मैंने आपके सामने १९५१ से लेकर १९६०-६१ के आंकड़े, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, मद्रास और गुजरात के हैं, और उसके बाद जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के हैं, उन्हें रखा है।

मैंने इन आंकड़ों को आपके सामने इसलिये रखा है कि जो नक्शा हमारे सामने पेश किया जाता है उसमें अक्सर कहा जाता है कि बिहार बिलकुल गया-गुजरा सूबा है, यहां कोई काम नहीं होता है, कोई तरक्की नहीं हुई है, कोई आशा इससे नहीं की जा सकती है आदि आदि। मैं चाहता हूं कि यह भावना लोगों के बीच से हट जाय। इसीलिये मैंने इन आंकड़ों को यहां रखा है। मेरा यह दावा नहीं है कि हमने बड़ी तरक्की की है। वास्तविक बात तो यह है कि जितनी निन्दा आप मेरी करते हैं, उससे कहीं ज्यादा निन्दा मैं खुद अपनी करता हूं। मैं जानता हूं कि जितनी तरक्की होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है। लेकिन यह मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं बिहार को हिन्दुस्तान के नक्शे पर रखूंगा, एक वर्ष में या सोलह महीना में। मैंने बस इतना ही कहा था कि हमारी अभिलाषा है कि हम बिहार को हिन्दुस्तान के नक्शे पर रक्खें। मैं इसके लिये कोशिश में लगा रहता हूं, हमेशा सचेष्ट रहता हूं। हमारे छोटे भाई श्री कपिलदेव सिंह जी ने कहा कि आप कुछ मत कीजिये सिर्फ एक ही काम कीजिये कि सात रोज से ज्यादा फाइल को अपने टेबुल पर नहीं रखें। मैं अपनी पवित्रता का दावा नहीं करता हूं चूंकि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि मेरे टेबुल पर फाइल नहीं रहती है। मैं आपसे यह कहता हूं कि मैं गांधीजी के बताये हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं। मैं उनका चेला होने की क्षमता तो नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि उन्हीं के समय में हमलोग राजनीतिक जीवन में आये। उनसे हमलोगों ने एक बात सीखी है जो यह है कि उपदेश कम दो और जो उपदेश दो उसका उदाहरण अपने से पेश करो। यही मैं भी करने की कोशिश करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मेरी वजह से राज्य में क्रान्ति हो जायेगी और कोई कमी नहीं रहेगी और मेरी वजह से बिहार हिन्दुस्तान के नक्शे पर आ जायेगा लेकिन मेरे हट जाने के बाद यह भी नहीं कहा जायेगा कि मैंने मिहनत नहीं की, बिहार की उन्नति नहीं हुई।

श्री सूरज नारायण सिंह—क्या आप गांधीजी के उपदेश को जानते हैं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—गांधीजी के उपदेश को हम और आप दोनों जानते हैं। सन् ४२

में भी और आज भी आपका कुछ दूसरा ही रास्ता है। आपका रास्ता हमेशा दूसरा रहा है। यह बात ठीक है कि मैं कपिलदेव जी तथा अपने अन्य दोस्तों को काफी खुश नहीं कर सका हूं। इस सिलसिले में मुझे पुराने दिनों की एक घटना याद आती है। हमलोग अदालत से सदाकत आश्रम टमटम से जाया करते थे। एक दिन शाम को हमलोग टमटम से जा रहे थे। टमटम वाले का एक चिराग चल रहा था और एक बुझा हुआ था। टमटम वाले को नाके पर सारजेन्ट ने पकड़ा और उसका नाम तथा लाइसेन्स का नम्बर नोट कर लिया। उसके बाद टमटम वाला जब आगे बढ़ा, तो वह बोला कि होने दो सुराज तो हम दोनों बत्ती बुझाकर चलेंगे। मेरी धारणा है कि शायद मेरे दोस्तों को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि वे जिस किसी तरह की कार्रवाई करेंगे, सरकार उसको मान लेगी; अराजकता होगी तो सरकार उसको भी नजर अंदाज करेगी और वे जो चाहेंगे वही करेंगे।

मैं आपलोगों से पूछना चाहता हूं कि आपलोग कौन-सी सभा करना चाहते थे जिसको हमने रोक दिया। कब आपने जुलूस निकाला और हमने रोक दिया। आप भाषण देते हैं उसपर कौन-सा प्रतिबन्ध लगाया गया है। लेकिन जिस वक्त आपलोग हिंसा के रास्ते पर गये, गैर-कानूनी कार्रवाई करने लगे और उससे बिहार के जन जीवन में खलल पहुंची, उस वक्त हमने रोक लगायी। आपलोग न्यायिक जांच कराने की बात करते हैं, तो मैं यह कहना चाहता

हूं कि आप "घेरा डालो" आंदोलन पर क्यों नहीं न्यायिक जांच करने की बात करते हैं कि वह आंदोलन हिंसात्मक था या नहीं।

श्री सूरज नारायण सिंह—मेरा एक प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। आपने कहा कि आपने कौन-सा जुलूस निकाला जिसको हमने बन्द कर दिया। हमारे उपर बिना जुलूस निकाले मुकदमा चलाया गया।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं यह कह रहा था कि आपने एस०डी० ओ० की कचहरी में घेरा डाला, बी०डी०ओ० के आफिस में घेरा डाला, हमारे अफसरों को काम करने से रोक दिया और उनको अपने आफिस में बन्द कर दिया। क्या यह गैर-कानूनी काम नहीं था? आज हमारे कपिलदेव बाबू बाहर निकले और दस आदमी मिलकर उनको घेर लें और अपने घर ले जायें, तो क्या यह गैर-कानूनी काम नहीं होगा और क्या आप इसको पसन्द करेंगे? जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनपर आपलोगों ने घेरा क्यों नहीं डाला। यदि उनपर घेरा डालते, तो यह अच्छी बात होती लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और घेरा डाला सरकारी अफसरों पर। इसका नतीजा यह हुआ कि गरीबों की जीवनोपयोगी चीजों का दाम बढ़ने लगा और उनका जीवन मुश्किल का हो गया।

सभापति महोदय, मैं यह दावा नहीं कर सकता हूं कि मैं माननीय सदस्यों की सभी बातों का जवाब दे सकता हूं। आप जानते हैं कि जब से वाद-विवाद शुरू हुआ है, तब से मैं इस सदन में बैठा हुआ हूं और सभी बातों को नोट किया करता हूं। यदि मैं अपने भाषण में सभी बातों का उल्लेख नहीं करूं तो यह नहीं समझा जाय कि मैंने उनकी अवहेलना की है। माननीय सदस्यों की बातों को हमने नोट कर लिया है, और उनपर उचित कारंवाई की जायगी। मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलें, उनकी बातों की मैं इज्जत करूं और ऐसी परिपाटी इस सदन में कायम हो। इसलिए जो बातें कही गयी हैं उनका एक-एक कर जहां तक सम्भव होगा मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात श्री रमेश झा ने कही कि अफसरों के शिक्षण के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके बारे में मैं बजट भाषण में कहूंगा। मगर जहां तक सरकारी अफसरों के शिक्षण का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य नागरिक सेवा के शिक्षण की व्यवस्था प्रशासनिक शिक्षण संस्था रांची में है। वरीय अफसरों का शिक्षण हैदराबाद में होता है। आई०ए०एस० की ट्रेनिंग मंसूरी में होती है, बी०डी०ओ० की ट्रेनिंग नीलोखेरी में होती है।

श्री कपिलदेव सिंह—और श्री रमेश झा को आप कहां ट्रेनिंग दे रहे हैं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—वह तो आपकी ट्रेनिंग में थे ही। लेकिन उनको वह पसन्द नहीं आया इसलिए छोड़कर चले आये हैं। आप जरा सचेत रहिये, कितने लोग आपको और छोड़कर चले आयेंगे। हमको अभी बहुत-सी बातें कहनी हैं।

श्री साइमन तिग्गा ने कहा है कि ढेबर कमीशन की सिफारिश के मुताबिक आदिवासियों की जमीन की रक्षा की जाय। मैं उनको यह सूचना देना चाहता हूं कि कानूनी मसविदा तैयार किया जा रहा है कि उनकी जमीन अगर कोई ले लेता है तो डिप्टी कमिश्नर को यह अख्तियार होगा कि वे उस सौदे को गैर-कानूनी घोषित कर दें। आदिवासियों की जमीन के मामले में डिप्टी कमिश्नर को भी पार्टी बनाने के लिए मसविदे में अनुबंध रख दिया गया है, जिसमें उनकी जमीन कोई नहीं ले सके।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने जो कहा है कि चीजों की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है, मैं इस सम्बन्ध में अंत में बोलूंगा। १९६४ में ५,६९,००० टन गेहूं केन्द्रीय सरकार से आया। १९६३ में सिर्फ २,४३,२७५ टन गल्ला आया था। सरकारी गोदामों से इन दो सालों में क्रमशः ७७,७५९ टन और १,२१,६५४ टन गल्ला उठाया गया। हमारे कहने का मतलब यह है कि हम सबको गल्ला दे सकें ऐसी हमारी योजना नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो फसल हुई है, वह हमारी सरहद के बाहर नहीं चली जाय। इस कार्य में आपलोगों का सहयोग जरूरी है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादातर उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा चूंकि हमारा सरहद उधर भी है। यहां से गल्ला बंगाल भी चला जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम इन सरहदों को खोल कर दें। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि यहां से गल्ला बाहर नहीं चला जाय। अगर केन्द्रीय सरकार से गल्ला मिलता गया और जितना गल्ला हम मिलों से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह मिल गया। तो हमारा ख्याल है कि यहां गल्ले की कमी नहीं होगी। इसीलिए मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं जिसमें गल्ला बाहर न जाने पावे। गल्ला का दाम बढ़ा हुआ है, यह दुःख की बात है। लेकिन जैसाकि मैंने अभी बताया है, गल्ले की स्थिति अच्छी हो जाने पर कीमत में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए मैं आपलोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे से गल्ला बाहर नहीं जाय, इसमें आपलोगों का सहयोग चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि किसानों के उपर "लेभी" नहीं लगे (थपथपी की आवाज)। लेवी लगाने से किसानों को क्या दिक्कत होगी, उसे मैं आपलोगों को बतला देना चाहता हूं। आज जो गल्ला पैदा होता है, उसी पर किसान की सारी चीजें निर्भर करती हैं। खइहन, बीहन, शादी-ब्याह या परिवार का पालन-पोषण—सभी उसी गल्ले पर है और गल्ला ही किसान का बैंक भी है। उसके इस बैंक में हम अपने अफसरों को भेजना नहीं चाहते हैं। आज शासन और अफसरों की जो हालत है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है और हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे सभी अफसर बड़े ईमानदार ही हैं। कुछ अफसर ईमानदार जरूर हैं, लेकिन फिर अगर हम अपने अफसरों को "लेवी" करने के लिए किसानों के पास भेजना शुरू करें, तो इससे हमारे किसानों की परेशानी बढ़ जायेगी। इसलिए हम किसानों के अन्न को छीनना नहीं चाहते हैं। यह दूसरी बात है कि आज हम मुख्य मंत्री हैं और हमारी यहां पर सरकार है। कल आप भी इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हमारी सरकार आज जा सकती है, लेकिन हमारा और आपका यह बिहार तो कहीं नहीं चला जायगा। अफसरों को किसानों के पास भेजने से किसानों को तकलीफ होगी और इसलिए हम अपने अफसरों को किसानों के पास अनाज की "लेवी" के लिए भेजना नहीं चाहते हैं।

लेकिन यह बात भी ठीक है कि धान का भाव नीचे नहीं गिरने पावे, इसके लिए हमने उसका भाव तय कर दिया कि १४ रु० मन की दर पर सरकार धान खरीदेगी। खेती करने के लिए किसानों को गल्ले का उचित मूल्य मिलना चाहिए लेकिन किसानों से हमको गल्ला भी मिलना चाहिए। हम कानून बनाकर और पुलिस के जरिये किसानों से गल्ला वसूलना नहीं चाहते हैं। हम किसानों से जबर्दस्ती गल्ला वसूल कर एक तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गल्ला जमा करने में सभी जगह से हमको सहयोग मिलेगा।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—हमारे संताल परगना जिले में तो १३ रु० मन धान बिक गया है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आपके संथाल परगना और छोटानागपुर जिले में तो धान घर में चला गया होगा लेकिन हमारे पटना डिवीजन में तो अभी धान खेतिहरों के खलिहान में

हो होगा या अभी घर गया होगा। मैं आपलोगों से अपील करता हूं कि हमको गल्ला दिलाने में आपलोग मदद करें। गल्ला मुहैया करना केवल सरकार और मुख्य मंत्री का काम नहीं है, बल्कि हम और आप, सभी लोगों का यह काम होना चाहिए।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने यह कहा है कि मिनिस्टरों का कमरा एयरकंडीशन कर दिया गया है। इस संबंध में एक बात याद आ गयी कि जब श्री डी० संजीवैया कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट थे तब हमारे यहां पर आये हुए थे। आज तो वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हैं। उन्होंने हमसे कहा कि कम-से-कम एक कमरा काम करने के लिए एयरकंडीशन क्यों नहीं करा लेते हैं? हम तो कपिलदेव बाबू के डर से ऐसा करना सोचते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हरेक मंत्री के आवास में एक कमरा एयरकंडीशन करा दिया गया है। हमारे यहां के राजभवन में प्रमुख अतिथियों के ठहरने के लिए चार कमरा एयरकंडीशन करा लिया गया है। वहां हमारे प्रधान मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमचारी और श्री अशोक मेहता जैसे लोग आते हैं और ठहरते हैं। आप भी हमसे सहमत होंगे बाहर से आये हुए मान्य अतिथियों को आप गर्मी से परेशान करना नहीं चाहेंगे।

पटना हाईकोर्ट को भी एयरकंडीशन किया गया है। इसकी मशीनरी हमारे मुख्य मंत्री होने के पहले ही आ गयी थी। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, तब क्या करता? जो भी मशीनरी आ गयी थी उसको क्या लौटा देता? इस तरह से हाईकोर्ट को एयरकंडीशन किया गया है लेकिन सेक्रेटेरियट या किसी मिनिस्टर के कमरे में एयरकंडीशन नहीं लगा है।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने यह भी कहा है कि जो कंट्रोल है वह गांधियन सिद्धांत के खिलाफ है। आज कंट्रोल किस चीज पर है? चीनी पर है और सीमेन्ट पर है। इन चीजों पर भारत सरकार का नियंत्रण है, बिहार सरकार ने इन चीजों पर कंट्रोल नहीं किया है।

बिहार सरकार ने चीनी पर कंट्रोल नहीं किया। चीनी जो बाहर जाती है उसपर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। चीनी पर नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का है और मैं उसे गलत नहीं मानता हूं। विकास का काम करने के लिए हमें वैदेशिक मुद्रा चाहिए। वह आयेगा कहां से? जबतक हम अपनी चीजों को बाहर नहीं बेचेंगे, वह नहीं आयेगा। इसके लिए हमें कुछ कष्ट जरूर सहना पड़ेगा। इसके बाद जो चीनी देश में रह जाती है, उसका वितरण केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि चीनी का दाम भी केन्द्रीय सरकार तय करती है। जब केन्द्रीय सरकार ने गन्ने का दाम २ रु० मन तय किया तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन हुआ, और उसके बाद चलती दर से २ रु० मन दिया गया। सात-आठ महीना पहले यह दाम तय हुआ। आज सभी चीजों का दाम बढ़ गया है। तो फिर आप आन्दोलन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आंदोलन के लिए समय और तरीका होता है। जिस वक्त दो रुपया का दाम तय हुआ था, उस वक्त सभी लोगों ने कहा कि यह अच्छा काम हुआ। तो, कैसे आप कह सकते हैं कि लोगों की तकलीफ की हम अवहेलना करते हैं?

श्री सूरज नारायण सिंह—आज चीनी का दाम बढ़ गया है, इसलिए २ रु० का रेट कहां तक ठीक है, आप समझ सकते हैं? बिहार सरकार बिहार के किसान की भलाई करना नहीं चाहती है।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आपकी फिलासफी को हम खूब समझते हैं। आप एक दारोगा और एक मिनिस्टर में कोई अन्तर नहीं पाते हैं। (हंसी)।

हां, श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि किसनगंज में सी०आई०डी० ने उनका पीछा किया। मैं पूछता हूं कि अगर पीछा कर रहा था तो गलत क्या किया?. आप उस जगह जा रहे थे प्रमाण संग्रह करने के लिए कि गोली जो चली वह अनुचित थी। तो ऐसी हालत में अगर सरकारी कर्मचारी यह पता लगाने की कोशिश करें कि कौन-कौन आदमी गलत बयान कर रहा है, और वह उनके नाम का पता लगावें, तो इसमें कौन-सा गलत काम हुआ? अन्याय क्या हुआ? आपने कहा कि अब्राहम साहब की रिपोर्ट है कि गोली चलाना अनुचित था। मैंने अब्राहम साहब की रिपोर्ट को फिर से मंगाकर पढ़ा। उन्होंने तो कहा है कि उस परिस्थिति में गोली चलाना जरूरी था।

श्री चन्द्र शेखर सिंह--आप जुडीशियल इन्क्वायरी करावें।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय--अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करें, कोई भी कार्रवाई करें

शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और हम उसकी न्यायिक जांच कराते चलें, यह नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में हमारी नीति साफ है और वह यह है कि शांति कायम रखने के लिए गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस गोली चलायेगी।

आपका यह भी कहना है कि जमशेदपुर में जो गोलियां चलीं उसके लिए न्यायिक जांच क्यों नहीं करायी गयी। मैं कहता हूं कि अगर हम इसके लिए न्यायिक जांच करा देते तो उसके बाद भी फिर मुसलमानों पर हमले होते और साम्प्रदायिक दंगा होता और अगर ऐसा होता तो उस समय पुलिस चुपचाप बैठ जाती और हम शांति कायम नहीं रख सकते। आप क्या समझते हैं कि हम पढ़े-लिखे नहीं हैं? हम भी पढ़े-लिखे लोग हैं और हममें भी यह समझने की ताकत है कि कौन अफसर गलत काम कर रहा है और कौन ठीक कर रहा है। आपने यह भी कहा कि आज पाट का दाम गिर गया है पर हमने उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आपको जानना चाहिए कि जूट बाहर भेजा जाता है और इसका इस्तेमाल हमारे देश में बहुत कम होता है। इसके लिए एक कारपोरेशन है जो कलकत्ता में काम करता है। हां, राज्य-सरकार ने इसके लिए एक को-आपरेटिव सोसाइटी कायम कर दी है और उसको रुपये दे दिये हैं कि वह जूट खरीदे। उसको यह कह दिया गया है कि वह जूट पैदा करने वालों को व्यापारी से कम दाम नहीं दे। हमारे पास अभी जो रिपोर्ट है उससे पता चलता है कि जूट का दाम इतना था कि इस सोसाइटी को जूट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने बहुत-सा रुपया को-आपरेटिव सोसाइटी को जूट खरीदने के लिए दे दिया था। यह कहना कि हमको जूट के लिए चिन्ता नहीं है, गलत बात है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह--कितने की पूंजी आपने उसको दी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय--हमने ४० लाख रुपये उसको दिये और कहा कि तुम इसमें

से जितने का चाहो, जूट खरीद सकते हो। जूट का दाम गिर गया। अगर जूट का दाम गिर जाता है तो वह सोसाइटी जूट नहीं खरीदती है।

कहा गया है कि हरिजनों के घर के लिए हमने कोई इन्तजाम नहीं किया। आपका जो यह आरोप है, वह बिल्कुल सही है। मुझे इसके लिए अफशोस है और इसके लिए चिंता भी है। मैं चाहता हूं कि उनको बास के लिए जमीन दी जाय। राजस्व मंत्री ने एक कार्रवाई इसके लिए की, जिससे पता चलता है कि एक लाख १२ हजार १६ मुकदमे इसके लिए किये गये हैं। "प्रिविलेज्ड परसन्स होम स्टेड" के अन्दर जितनी जमीन थी, उसको रेकर्ड कर लिया

गया है। पता चला है कि इस सिलसिले के ७,३२० मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि जबतक हरिजनों को रहने के लिए ५ कट्ठा या ४ कट्ठा जमीन नहीं मिल जाती है तबतक आप जितनी भी शिकायत करेंगे, वह बिल्कुल वाजिब है। हम चाहते हैं कि हरिजनों को रहने के लिए जमीन मिले।

श्री तेजनारायण झा—केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए ५ करोड़ रुपये दिये हैं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—वह तो गृह निर्माण के लिए है। "प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टेड टेनेन्सी ऐक्ट" दूसरी चीज है। इसके अन्दर यह है कि जो हरिजन अभी जिस जमीन में रह रहे हैं, या उनका मकान है और अगर उनके नाम से वह जमीन दर्ज नहीं है तो उस जमीन को उनके नाम से दर्ज करा दिया जाय। उनके नाम से मालगुजारी तय कर दी जाय, जिससे कि उनको कोई फिर से उस जमीन पर से नहीं निकाले। यह सही है कि केन्द्रीय सरकार जो रुपये इसके लिए देती है, उस रुपये का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वह रुपया व्यपगत हो जाता है। आप इस सम्बन्ध में जो कहते हैं वह सही कहते हैं। हम यह सिलसिला कायम करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से जो रुपया इसके लिए मिले, उस रुपये से हम हरिजनों के लिए मकान का इन्तजाम कर दें, जिससे कि कोई बिना घर के नहीं रहे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—हरिजनों को बास के लिए जमीन मिले, इसके लिए आप कानून क्यों नहीं लाते हैं? अगर आप ऐसा कानून लाइये तो आपको हमलोगों का समर्थन भी मिलेगा।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैं बतलाता हूं आपको। हमारा फैसला क्या है, सुन लीजिये। जमींदारी ले ली गई। हमारे पास गैर-मजरुआ-खास और गैर-मजरुआ-आम जमीन रह गयी। गैर-मजरुआ-आम जमीन की वह मर्यादा नहीं रही। हमारे गरीब हरिजन उसपर बसे हुए थे। उनको हमने पंजीबद्ध कर दिया। मगर गैर-मजरुआ-खास जमीन के बारे में यह हुआ कि हमारे अफसरों की मेहरबानी से जमींदारों ने कच्ची बन्दोबस्ती का कागज दिखलाया और उन्होंने बन्दोबस्त कर दिया। हमने हुक्म दिया है कि जबतक वे रजिस्टरी का कागज नहीं दिखलायें तबतक बन्दोबस्त नहीं किया जाये। इस तरह इतनी जमीन निकल आवेगी तो भूमि-अर्जन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जितनी जमीन हमारे पास है, हम हरिजनों को दें और उनका घर बना दें। उसके बाद अगर और जरूरत होगी तो कानून बनेगा।

यह कितने शर्म की बात है कि हमारे सूबे में बहुत-से लोग अच्छे मकान में रहते हैं और यहां ऐसे भी लोग हैं, जिनको घर नहीं है। आज हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर माननीय सदस्यगण कहते हैं कि वे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इस बात को देखेंगे। लेकिन हमारा आदेश यही है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—हरिजनों की जो रैयती जमीन है उसको आप दिलाना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट में जाना पड़ता है और १० वर्ष मुकदमा में लग जाते हैं और वे भाग जाते हैं। इसके लिए कोई सूरत है या नहीं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—आपने कहा कि हरिजनों के लिए पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है। मेरे पास जो इस सम्बन्ध में आंकड़ा है, जिसे मैं आपके सामने रख देता हूं। इस काम में ३ लाख ५७ हजार रुपया खर्च हुआ है और २ लाख रुपया और इस साल खर्च

हो रहा है। और १९६३ तक ७,४०९ कुएं बने और १,०६९ टयूबवेल बने हैं। मगर मेरे इस कथन का मतलब यह नहीं है कि हरिजनों के सभी गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम हो गया है।

श्री जनार्दन तिवारी---यह बहुत कम पड़ता है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय---कम पड़ता है, यह मैं मानता हूं और यह भी मानता हूं कि हरिजनों के साथ अगर यह शर्त्त की जाये कि तुम खर्च का २५ प्रतिशत दो तो वे नहीं दे सकते। आपको उनके लिए कुआं बना देना पड़ेगा। उनलोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वे एक रोज की भी मजदूरी अपनी इसमें लगा सकें।

मिथिला युनिर्वासिटी का भी जिक्र किया गया है। इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री यहां मौजूद हैं, उनसे मेरा परामर्श हुआ है, वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे जब इसका मौका आयेगा। इसलिए मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि मिथिला युनिर्वासिटी होनी चाहिए। (थपथपी)।

श्री कपिलदेव सिंह---लेकिन वे सब साथ देंगे विनोदा बाबू का।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय---जबतक आप चुनाव के वक्त बड़हिया से लोगों को ले आयेंगे हमारी मदद के लिए। (हंसी)।

सभापति महोदय, हमारे दोस्त, श्री सुनील मुखर्जी ने कहा है कि यह सूबा कर्ज के बोझ से लदा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आज जो वित्त आयोग है, उसके सामने हम कहते हैं कि निर्माण कार्य के लिए हमको पैसा दीजिए। हम ही नहीं कहते, सभी राज्य कहते हैं कि निर्माण कार्य के लिए रुपया दीजिए। कमीशन कहता है कि इसको उत्पादन के कामों में लगाइये। ठीक है, हम उत्पादक कामों में लगाते हैं, और उसका यह शर्त्त भी वाजिब है। लेकिन बहुतसे ऐसे काम हैं, जिनसे तुरन्त आमदनी नहीं होती है, जैसे हम सड़क बनाते हैं, गल्ले का राजकीय व्यापार करते हैं। जैसा हमारे दोस्त, श्री सूरज नारायण सिंह चाहते हैं वैसा नहीं करते हैं, लेकिन हम गल्ला खरीदते हैं, और उसको राशन की दूकानों में भेजते हैं, भेजने का इन्तजाम करते हैं। तो, हम इस बात के लिए भारत सरकार पर जोर देते हैं। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दोनों में फर्क होता है। राजस्व में जो हमारा योजना के बाहर खर्च होता है और जो हमारा राजस्व है सब खर्च उसी में आयेगा तो योजना के लिए हमारे पास कम रुपया रहेगा और उसके लिए हम कम ही रुपया दे सकेंगे। बाकी भारत सरकार देगी। तो इस बात के लिए बिहार ही नहीं, सभी राज्यों की सरकारें जोर देती हैं। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का यही कहना है कि जो कर्ज भारत सरकार देती है उसके बारे में ऐसी घोषणा वह कर दे कि जब आमदनी होगी तो हम सूद देंगे और नहीं तो नहीं। बात यह है कि हम रुपया लगाते हैं, जैसे कोशी में हमने रुपया लगाया, अन्य सिंचाई की योजनाओं में हमने रुपया लगाया और उससे हमें अभी आमदनी नहीं हो रही है। जब आमदनी होगी तो हम रुपया देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। इस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे उपर कितना कर्ज है। सार्वजनिक कर्ज २० करोड़ ५७ लाख रुपया और जमींदारी बौंड का कर्ज ११ लाख ९६ हजार रुपया देना है। भारत सरकार से २५५ करोड़ ९२ लाख रुपया मिला और दूसरे-दूसरे कर्ज की रकम कुल

४ करोड़ ३२ लाख हैं। ये ही सब हमारे उपर कर्ज है। इस कर्ज के लिए हमें परेशानी है। हम भारत सरकार पर इस सम्बन्ध में दबाव डाल रहे हैं। यदि आप सदस्यों की पहुंच हो तो आप भी जोर डालें जिसमें हमारा हाथ और मजबूत हो।

आपने कहा कि डी०वी०सी० में बेकार रुपया दिया गया है, डी०वी०सी० से सिंचाई के काम में हमको फायदा नहीं है। डी०वी०सी० को हमने लिखा भी है कि हमारा ३६ लाख रुपया लौटा दिया जाय क्योंकि सिंचाई से हमें लाभ नहीं है। बिजली से हमें फायदा है क्योंकि हम भी बिजली लेते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि बिजली में हम साझीदार नहीं हैं।

श्री शकूर अहमद—जब श्री रामचरित्र सिंह इरिगेशन मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि सब बिजली हमको मिलेगी।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—नहीं, बिजली में हिस्सा मिलता है।

श्री सुनील मुखर्जी—मेजर हिस्सा किसको मिलता है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इस समय हम नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि अभी इस विषय की सूचना नहीं है। कोशी पश्चिमी नहर के बारे में चर्चा की गयी। ठीक है अभी तक वह नहीं बनी है। वह तबतक नहीं बन सकती जबतक नेपाल से मंजूरी नहीं मिल जाती। इसके बारे में चिट्ठी आयी है। उससे मालूम होता है कि नेपाल सरकार राजी हो गयी है। हमारे प्रधान मंत्री और नेपाल महाराज आनेवाले हैं और दोनों मिलकर नहर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद काम चालू हो जायेगा।

यह काम जो रुका हुआ था वह इसलिये नहीं कि हम इसकी जरूरत नहीं समझते थे या कोष का अभाव था। रुपये भी हैं और नहीं की जरूरत भी है। सिर्फ नेपाल सरकार की अनुमति के विना काम रुका था हम उम्मीद करते हैं कि इस साल नेपाल का सहयोग मिल जायगा।

आपने कहा कि जो सुपरफोस्फेट फैक्ट्री है इसमें सिर्फ १० हजार मैट्रिक टन उत्पादन होता है। इसमें १९६१-६२ में जो उत्पादन हुआ है वह १२ हजार मैट्रिक टन है, १९६२-६३ में २२ हजार मैट्रिक टन और इस साल का लक्ष्य है २५ हजार मैट्रिक टन ।

श्री सुनील मुखर्जी—मैंने यह नहीं कहा था कि १० हजार मैट्रिक टन उत्पादन है। मैंने कहा था कि राज्यपाल के भाषण में है कि १२ हजार से २२ हजार मैट्रिक टन की वृद्धि हुयी है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अमझोर में पाइराइट्स केमिकल के विकास का काम शुरू हो गया है। इससे सुपरफोस्फेट फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा।

खान संबंधी बकाये के बारे में कहा गया है। क्या इशारा था, यह मैं नहीं जानता। कुछ मुकदमा चल रहा है। श्री कामख्या नारायण के यहां जो बकाया है उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मगर कुल बकाये के बारे में क्या स्थिति है, सुनिये। गत साल ८५ लाख रुपया जमा हुआ था। इस साल अभी तक २ करोड़ ४२ लाख जमा हुआ है

और यह उम्मीद की जाती है कि इस साल हमारी आमदनी बढ़ेगी। अगले वर्ष १९६५-६६ में ४ करोड़ रुपया बढ़ जायगा। भारत सरकार को हमने लिखा है कि दो रोआएल्टी की दर को जो अढ़ाई प्रतिशत है उसको ५ प्रतिशत कर दिया जाय। हमारा ख्याल है कि पांच प्रतिशत होने से हमारी आमदनी १० करोड़ रुपया हो जायगी। जो अविकसित खनिज क्षेत्र हैं, उनको अगर हम विकसित करें तो या बन्दोबस्त करें तो हमारी आमदनी और भी बढ़ जायगी और बढ़ कर २० करोड़ रुपया हो जायगा। इस आमदनी को बढ़ाने की हमारी फिक्र है। बार-बार यह बात उठती है। दिल्ली में यह कहते हैं कि रेंट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। रेंट बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। मगर मैं यह भी यहां कहता हूं, और दिल्ली में भी कहता हूं कि जमीन की वही हालत है जो हमारे बाप-दादे के वक्त में थी इसलिये खेत की मालगुजारी बढ़ाना गलत है। आप सिंचाई की व्यवस्था करें। अगर १० मन पैदावार ज्यादा बढ़ी तो उस अनुपात में मालगुजारी बढ़ा सकते हैं। अगर पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो मालगुजारी नहीं बढ़ाना चाहिये। मगर खान और खनिजों से आमदनी हम २० करोड़ रुपये तक बढ़ा सकते हैं।

श्री सुनील मुखर्जी—४.८५ करोड़ जो ड्यूज है उसके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह जो बाकी है उसकी वसूली कर रहे हैं। इसमें रियायत नहीं की जा सकती है। पैसा मिलना चाहिये।

श्री जय कुमार सिंह—जहां १०० रु० बीघा मालगुजारी है, आरा गांव में उसके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आपके यहां तो जमीन सोना उगलती है।

यह कहा गया है कि हम कृषि गत आयकर वसूल नहीं करते हैं। यह आरोप हमारे ऊपर है। १९६१-६२ में वसूल हुआ ४७ लाख रुपया, १९६२-६३ में ४६ लाख रु० १९६३-६४ में ३९ लाख रु० और १९६४-६५ में ३८ लाख रु० आमदनी घट रही है। घट क्यों रही है ? सवाल यह है कि जब जोत को हदबन्दी का कानून पेश हुआ उसी वक्त से जिनको अधिक जमीन थी, वे जरा सतर्क हो गए। सतर्क क्या हो गए, चतुर हो गए और अपनी जमीन को बांट दिया। एक आदमी के पास जबतक जमीन है तब तक वह कृषिगत आयकर के लिए देनदार हो जाता है, लेकिन वही जमीन ५-१० आदमी के नाम में बंट जाती है तो उसका मालिक उस आयकर के लिए देनदार नहीं रहता है और इस तरह आमदनी घटती है। यह आर्थिक गतिविधि है।

श्री सुनील मुखर्जी ने कहा कि आपने आदित्यपुर में क्या किया। मैं कहूंगा कि आदित्य पुर में, बोकारो, बरौनी में, हटिया में कहीं भी बहुत काम नहीं हुआ। आप चाहे जो समझें, मैं तो समझता हूं कि जो हुआ है वह बहुत कम है। आदित्यपुर में २८ प्लाट बन्दोबस्त किए गए हैं औद्योगीकरण इकाइयों के साथ, और उम्मीद है कि वहां उद्योग खड़ा होंगे। हटिया में भी १०० एकड़ भूमि लेकर उद्योग खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन औद्योगिक विकास का काम बहुत बड़ा काम है। मेरे बगल में कृषि मंत्री हैं, पी०डब्ल्यू०डी० के मंत्री भी हैं। लेकिन खेती का काम तो मैं भी कर लेता हूं, थोड़ी रहड़ चना और आलू की। मगर औद्योगीकरण विकास का काम कठिन काम है। यह आसान नहीं है कि हम हर जगह उद्योग-धन्धा खड़ा कर दें। मैं यह भी मानता हूं कि इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।

मुझे इसके लिए बड़ी चिन्ता है, ग्लानि भी होती है। मैं उसके लिए बहुत सचेष्ट रहता हूं। कपड़ा मिलों के लिए लाइसेन्स देने का सवाल हुआ। १७ मिलो के लिए। मैंने उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि आप क्यों नहीं मिल खड़ा कर रहे हैं, तो उनलोगों ने कहा कि पूंजी नहीं है, पूंजी का इन्तजाम कर दीजिए। मैंने कहा कि "कबिरा काशी में मरा तो रामही कौन निहोर" आप पूंजीपति हैं, हम आपको पूंजी देंगे तो क्या हमको इतनी अकल नहीं है कि उसी पूंजी पर हम खुद कपड़ा मिल खड़ा कर लें और एक मैनेजर देखने के लिए बहाल कर दें। हमको दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो सहयोग निजी क्षेत्र वालों से मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्री, श्री टी०टी० कृष्णामचारी आए थे, उन से भी हमने कहा कि १७ आदमी को लाइसेन्स दिया, लेकिन दो-तीन आदमी ही इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक मिल रांची में खड़ी हो रही है, बाकी लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए एक कारपोरेशन कायम कीजिए और उसमें अपने अफसरों को रखिए और बैंकों से रुपया मांगिए, हमलोग उनसे रुपया दिलाएंगे। हम इस कोशिश में हैं, लेकिन निजी क्षेत्र वाले शिकायत करते हैं लेकिन मैंने १७ आदमी को लाइसेन्स दिया और उनलोगों ने कारखाना नहीं कायम किया। केवल मगध टेक्सटाइल, डुमरांव टेक्सटाइल नामक कम्पनियां मिल खड़ी कर रही हैं। उनमें से एक रांची और हजारीबाग के बीच में पड़ता है। इस तरह आप देखेंगे कि १७ आदमी को लाइसेन्स मिला लेकिन उनमें से चन्द लोगों ने ही सहयोग दिया। सफलता मिली या नहीं यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल सकी है ऐसा मैं मानता हूं।

आपने अराजपत्रित कर्मचारियों का जिक्र किया। मैं आपसे कहता हूं कि उनके वेतनमें जो वृद्धि हुई है वह है १२ प्रतिशत। उनके अन्य सुविधाओं को मिलाकर इस वक्त १५ प्रतिशत तक आ जायगा। महंगाई भत्ता, जिनका वेतन १०० रुपया तक है, उनको ५० रु० मिलेगा। इसमें कुल मिलाकर ५ करोड़ रु० खर्च हो जायेंगे। लोग इन कर्मचारियों को बहुत आसानी के साथ उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन मेरे स्थान पर आप ही यहां रहते तो क्या करते?

कुछ जिलों को बांटने का सवाल है। यह अलग सवाल है। आप क्या समझते हैं कि सिमदेगा और गुमला में बैठकर सारे जिले का प्रशासन हो सकता है। जिलों का बंटवारा बहुत आवश्यक है। इसमें ४ करोड़ रु० लगेगा। शिक्षक लोग अलग आन्दोलन कर रहे हैं। उनपर भी ६ करोड़ रु० लगेगा।

हमने अपने अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है, इसमें ५ करोड़ रुपया अधिक लगेगा, डाक्टरों का वेतन बढ़ाया है उसमें १ करोड़ रुपया अधिक लगेगा। इसी तरह से आज हमको शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि के वेतन में भी वृद्धि करनी पड़ी है। अगर हम उनका वेतन नहीं बढ़ाते हैं, तो वे बहाल होंगे फिर भाग जायेंगे। आज अगर हम कालेज और स्कूल में शिक्षक और प्रोफेसर नहीं रखते हैं तो हमारे लड़कों का भविष्य अंधकारमय हो जायगा। इसलिये हमको इनलोगों को अधिक वेतन देकर अपने लड़कों को पढ़ाना जरूरी है। इन सब मुसीबतों को देखते हुए मैं आपलोगों से अपील करता हूं कि आप कर्मचारियों को उत्तेजित न करें, प्रोत्साहन न दें। यह एक ऐसा अहम सवाल है कि यह न तो आपके घर की बात है और न मेरे घर की बात है, यह सारे प्रान्त की बात है। मैं यह नहीं दावा करता हूं कि हम जो अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हैं, उससे उनकी तकलीफ दूर हो जायगी और जरूरत की सभी चीजें पूरी हो जायेंगी। वे जिस तरह परिवार से आते हैं, मैं भी उसी तरह के परिवार का आदमी हूं। मेरे घर में जिस तरह से औरतें साड़ी पहनती हैं, ठीक उसी तरह से उनके घर की औरतें भी साड़ी पहनती हैं, जिस तरह से मेरे बच्चे

कपड़े पहनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसी तरह से उन कर्मचारियों के बच्चे भी कपड़े पहनते और पढ़ते हैं। मुझे इन बातों की जानकारी है लेकिन मैं क्या करूं, उनके वेतन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से भी आशा है कि कुछ मदद मिलेगी।

श्री कपिलदेव सिंह—एक कर्मचारी को जिसको आपने ससपेन्ड कर दिया है उसको कम-से-कम अब आप छोड़ दें।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—कल से यदि आप मेरा पूरा समर्थन करने लग जायेंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। (हंसी)

वेतन पुनरीक्षण कमिटी का भी जिक्र किया गया है। यह बात सही है कि हमारे मंत्रि-मंडल ने हमारे ऊपर ही यह जिम्मेदारी छोड़ दी है कि हम जहां जरूरी समझें वहां परिवर्तन करें। लेकिन फिर भी मुझे मंत्रिमंडल की राय से ही चलना है। इसमें मैंने अपने सामने दो उद्देश्यों को रखा है। पहला यह कि वेतन पुनरीक्षण के नतीजा से हर व्यक्ति को फायदा हो, हर व्यक्ति के वेतन में वृद्धि हो और दूसरा उद्देश्य यह है कि वेतन मानों का समतोल कायम रखना अर्थात् एक सेवा वाले से दूसरी सेवा वालों के वेतन की सापेक्षता में अन्तर नहीं आना चाहिये।

अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने पौधा संरक्षण अधिकारी श्री बी०के० सिंह और डा० बी. एन० राय के बारे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वह संचिका मेरे पास आयी है। इसमें भ्रष्टाचार विभाग की रिपोर्ट है, मुख्य सचिव की भी रिपोर्ट आयी है। डा० राय पर कोई आरोप नहीं है। उनके सम्बन्ध में कहा गया था कि कई लाख रुपये ......।

श्री रामसेवक सिंह—कृपया हिन्दी में बोलें।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं।

श्री बी०एन० राय पर आरोप था कि कई लाख रुपये का मशीन उन्होंने खरीदी थी, जिसमें कायदे-कानून का पालन नहीं किया गया था और कई फर्म के साथ उन्होंने पक्षपात किया था। भ्रष्टाचार विभाग से इसकी रिपोर्ट आयी, चीफ सेक्रेटरी ने जांच की और मैंने भी इसकी जांच की। अंत में मैंने उनको निर्दोष पाया।

कहा गया है कि बिहारियों की नियुक्ति बिहार में नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि बिहारियों की नियुक्ति बिहार के उद्योग तथा आफिसों में हो। सिंहभुम के एक जिला माईनिंग अफसर ने यह सरकुलर जारी कर दिया कि हर आदमी को ३ रु० के स्टाम्प पर घोषणा पत्र देना होगा कि वह बिहारी है और उसीकी बहाली होगी। मैंने इस सरकुलर को वापस करा दिया है। कोई भी आदमी गलत काम का साथ नहीं दे सकता है। भारत सरकार भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। बिहार भी तो हिन्दुस्तान का एक अंग है। टेकनिकल आदमी जब यहां नहीं मिलते हैं तो बाहर से लाना ही पड़ता है। लेकिन किरानी चपरासी की बहाली में बिहारियों को ही लिया जाय, यह मैं चाहता हूं और, इसे छोड़ने को मैं तैयार नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य—दूसरे राज्य में अंडरटेकिंग मांगा जाता है या नहीं?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय---अगर मांगा जाता है तो गलत होता है। श्री कर्पूरी ठाकुरजी ने कहा कि श्री रामानन्द तिवारी के लड़के का रांची का केस फाइनल हो गया है।

श्री कर्पूरी ठाकुर---मैंने आरा के बारे में कहा था। रांची का तो नाम भी नहीं लिया था।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय---मैंने गलत समझा होगा। रांची वाले उनके केस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी पहचान नहीं हुयी है और अभी मामले का फाइनल नहीं हुआ है। पटने में उनपर ३४१ दफा का केस है। श्री रामानन्द तिवारी यहां नहीं हैं और मैं फरागत के साथ कह सकता हूं कि उनके साथ मेरा घरेलू संबंध है। मगर आदमी करे क्या? हमारे लड़के पर मुकदमा हो जाय तो मैं कर क्या सकता हूं? आदमी लाचार हो जाता है।

श्री जनार्दन तिवारी---आप केस विथड्रा कर सकते हैं।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय---आप यह कह सकते हैं लेकिन हमको यह अख्तियार नहीं है, इसलिये मैं अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा हूं और यह कह रहा हूं कि मुकदमा जो दायर किया गया है उसे सरकार ने दायर नहीं किया, पुलिस केस है, साधारण तरीके से जो नियम हैं, उसके अनुसार पुलिस केस करती है। मगर आप कहिये कि हमने किसी केस में दिलचस्पी ली है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। साधारण रूप में मुकदमा चल रहा है तो उस चीज को असेम्बली में आप लाते हैं ताकि लोगों का मन उत्तेजित हो यह ठीक नहीं करते हैं। श्री रामानन्द तिवारी पर पुलिस केस चल रहा था, उनसे हमारा अपना घरेलू सम्बन्ध है।

सभापति महोदय, मैंने शुरु में ही कहा है कि सभी बातों को मैं नहीं कह सकूंगा लेकिन अंत में कुछ खास बातें कहना चाहता हूं इसलिए मैंने अन्य विषयों को छोड़ दिया। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, उसे उपदेश न समझेंगे, यह मेरी राय है और राय जाहिर करने का हम सब को हक है।

आज हमारी खास समस्या है महंगी, इसमें कोई शक नहीं है और, महंगी कहां तक परेशान करेगी, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है समाज में क्या उथल-पुथल आयेगा इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि महंगी क्यों आई? आप नहीं कह सकते हैं कि यह महंगी सिर्फ इसी राज्य में आई है सारे हिन्दुस्तान में, देश के कोने-कोने में मंहगी व्याप्त है। आप नहीं कह सकते हैं कि किसी एक मुख्य मंत्री की गलती से महंगी आ गई है, या सरकार की उपेक्षा से आ गई है। यह महंगी सारे हिन्दुस्तान में, कोने-कोने में व्याप रही है। यह बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब सभी अपनी तरह से देते हैं। मैं भी अपनी तरह से जबाव देना चाहता हूं। सभी कोई अलग अलग वर्णन इसका करते हैं। महंगी का कारण मेरी राय में क्या है? स्वराज्य होने के बाद यह वाजिब था कि हम देश की खास समस्याओं को दूर करने की चेष्टा करते, गरीबी मिटाने की चेष्टा करते, अशिक्षा मिटाने, बीमारी दूर करने की चेष्टा करते, रोजगार-धंधा कायम करने की चेष्टा करते अन्यथा स्वराज्य का मतलब ही क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आज तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी, इनपर कितना खर्च किया? प्रथम योजना में ६ हजार करोड़ रु०, द्वितीय योजना में साढ़े आठ हजार करोड़ रु० और तृतीय योजना में करीब ११ हजार करोड़ रु० से कुछ ज्यादा ही खर्च होगा। सब मिल कर इन योजनाओं पर २६ हजार करोड़ रुपया खर्च किया है। आप अपने

बिहार में ७५ करोड़ रुपया योजना पर खर्च करते हैं वहां पर कुल बजट २२५ करोड़ का यानी उसका तीन गुणा होता है । तो, सारे देश में अगर २६ हजार करोड़ खर्च हुए योजनाओं पर, तो इस हिसाब से करीब ७८ हजार करोड़ रुपया समाज में बंट गया । इतने पैसे समाज में फैलते गये और इसके अनुसार ही धन पैदा हो जाता तो मंहगी नहीं होती । मैं यह नहीं मानता हूं कि हमारी प्रगति कुछ नहीं हुई है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, गंगा पुल वगैरह बने हैं इतने स्कूल खुले मगर माफ कीजियेगा, मेरा यह विचार है कि जितने रुपये देश में खर्च किये गये धन पैदा करने के लिये उतना धन हम पैदा नहीं कर सके, जो पैसे हमारे बीच फैले, उनका कितना काम हुआ ? ऐसा होने से मंहगी होती है और इसलिये आज यह मंहगी हुई है ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—फिजूलखर्ची का कुछ हाथ नहीं है ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—हम सामान्य बात कह रहे हैं । मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूं । जिन लोगों के पास पैसा आया चाहे वह मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधान सभा के सदस्य हो । मैं इस सदन का नेता हूं, लेकिन जितने सदस्यगण हैं वे भी नेता ही हैं, आप भी पैसा छूते हैं । कमिश्नर हो, कलक्टर हो या सिपाही हो, जिसने भी पैसा छुआ, उसने देश के प्रति अपना कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है । जितना पैसा लिया उतनी सेवा नहीं की है । धन तो बहुत तरह से पैदा होता है । बच्चों को ठीक शिक्षा दी तो वह भी धन ही है । अक्सर कहा करते हैं सेंट जेवियर्स स्कूल के बारे में । मैं अपने स्वर्गीय मित्र श्री कामता प्रसाद सिंह "काम" के लड़के को देखने के लिये हजारीबाग सेंटजेवियर्स स्कूल में गया था । लड़के खाना खा रहे थे और कमरा बन्द था लेकिन वहां के फादर मूर शीशे से देख रहे थे कि लड़के खा रहे हैं या नहीं । आज शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होनी चाहिये और शिक्षामंत्री वेतन में वृद्धि करेंगे लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रेरणा, जो लगन फादर मूर में है, वह क्या हमारे शिक्षकों में है ? क्या हमारे स्कूलों के लड़के उस तरह तैयार होते हैं ? जवाब मिलेगा 'नहीं । अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिये, लेकिन मैं पूछता हूं कि जितने किरानी हैं, वे क्या उतना काम करते हैं जितना उनको करना चाहिये । मैं अराजपत्रित कर्मचारियों की ही बात नहीं कहता शिक्षकों की ही बात नहीं कहता, मैंने तो केवल ये दो, उदाहरण दिये हैं । मुख्यमंत्री, मंत्री, असेम्बली के सदस्य, कमिश्नर कलक्टर, सिपाही हम सबने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया ।

गांधी जी को हमने भुला दिया । हमको वरधा, जाने का मौका मिला था, श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के साथ गया था । उस दिन गांधीजी का मौन दिवस था, वे बगल में कागज रखते थे, एक तरफ टाइप किया हुआ और दूसरी तरफ सादा कागज । वैसा कागज हम रद्दी की टोकड़ी में फेंक देते हैं । मगर गांधीजी ने समझा कि हम समाज के धन का दुरुपयोग न करें, एक पैसा भी बर्बाद न हो । हमारे एक मित्र गांधी जी के साथ थे । एक बार गांधीजी की छड़ी खो गई, हमारे दोस्त ने कहा कि २ रू० की छड़ी है, खरीद दूं । मगर हमने देखा कि क्या हुआ ? एक महीने तक बिना छड़ी के गांधी जी टहले, और इस तरह से उन्होंने अपने को सजा दी और तब दूसरी छड़ी उन्होंने खरीदी । मगर आज हममें यह भावना कहां है ? इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो यह मंहगी देखते हैं यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कि आप थोड़ा गल्ला लेकर, कुछ अपसंचयकारियों को सजा देकर मुकाबला कर सकते हैं । जबतक जितना पैसा खर्च करते हैं सरकारी खजाने से लेकर यह पवित्र नहीं समझा जायेगा, तबतक इसका सामना नहीं हम कर सकेंगे ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जांय :—

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है—

(१) जानलेवा महंगी और खाद्यसंकट को समाप्त करने में सरकार की विफलता,

(२) दाम नीति का निश्चित अभाव,

(३) अन्न उत्पादन वृद्धि में सरकारी प्रयासों की विफलता,

(४) बेकारी वृद्धि रोकने में सरकार की विफलता,

(५) आर्थिक विषमता कम करने में सरकार की विफलता,

(६) नागरिक आजादी छीनने, गोली चलाने और लाठी प्रहार करने में सरकार की तेजी और मुस्तैदी,

(७) प्रशासन में परिव्याप्त धांधली, पक्षपात, अयोग्यता एवं जातीयता,

(८) पूरे राज्य में अपराध संख्या में वृद्धि, विशेषकर राज्य की उत्तरी सीमा एवं नेपाल की सीमावर्त्ती क्षेत्रों में,

(९) ईख और पाट की समुचित मूल्य नीति का अभाव एवं उत्पादकों को सुविधायें प्रदान करने में विफलता,

(१०) भूमि-सुधार कार्यान्वयन में अत्यधिक विलम्ब तथा भूमि हदबन्दी कानून लागू करने और बेदखली रोकने में सरकार की असफलता,

(११) अधिकांश भूमिहीनों और अत्यधिक गरीबों को आवासीय भूमि दिलाने में सरकार की असफलता,

(१२) खेतिहर मजदूरों के लिए निम्नतम मजदूरी कानून लागू करने में सरकार की विफलता,

(१३) बहुतेरे हरिजन महल्लों, टोलों एवं पिछड़े इलाकों में समुचित पेयजल व्यवस्था का अभाव,

(१४) औरतों, हरिजनों आदिवासियों एवं पिछड़े लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में सरकार की विफलता,

(१५) प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में फैली विषमता को मिटाने और उसमें एकरूपता लाने में सरकार की विफलता,

(१६) सुनियोजित शिक्षा नीति का अभाव,

(१७) मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने में सरकार की उपेक्षा नीति,

(१८) कतिपय वरीय महाविद्यालयों को अंगीभूत अथवा घाटा अनुदान महाविद्यालय बनाने में सरकार की विफलता,

(१९) प्राध्यापकों एवं शिक्षकों, विशेषकर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता वृद्धि करने में सरकार की उपेक्षा एवं उदासीनता,

(२०) अराजपत्रित कर्मचारियों एवं अल्प-वेतन भोगियों की समुचित वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ता वृद्धि में सरकार की विफलता,

(२१) ग्राम स्तर पर काम करने वाले जनसेवकों, पंचायत सेवकों तथा कर्मचारियों की वेतन विषमता मिटाने एवं योग्यता के आधार पर वेतन में एकरूपता लाने में सरकार की विफलता,

(२२) राज्य श्रमहित नीति का अभाव एवं पूंजीपतियों तथा राष्ट्रीय ट्रेड युनियन कांग्रेस के प्रति खुल्लमखल्ला पक्षपात;

(२३) राज्य में औद्योगीकरण करने में सरकार की विफलता,

(२४) सहकारी आंदोलन का विराजकीयकरण करने और व्यापक तथा शक्तिशाली सहकारी आन्दोलन निर्माण करने में सरकार की विफलता,

(२५) पश्चिमी कोशी नहर योजना को कार्यान्वित करने में सरकार की विफलता,

(२६) व्यापक सिचाई व्यवस्था करने एवं उपलब्ध सिचाई जल का पूर्ण उपयोग कराने में सरकार की असफलता,

(२७) फर्द आवपाशी योजनाओं के प्रति घोर उपेक्षा एवं उदासीनता,

(२८) हिन्दी को राजकाज के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से लागू नहीं करने के निर्णय से जनता में परिव्याप्त असंतोष एवं क्षोभ,

(२९) किशनगंज गोलीकांड तथा आरा और विक्रम में किये गये लाठी प्रहार की न्यायिक जांच नहीं करने से परिव्याप्त असंतोष एवं क्षोभ,

(३०) वन नीति की दिशा में हीनता एवं जंगल विभाग में फैली हुई अक्षमता एवं भ्रष्टाचार।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है :—

(१) बिहार राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के सिलसिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्यांश को प्राप्त करने में भारी असफलता के सम्बन्ध में,

(२) महंगी, मुनाफाखोरी और चोरबाजारी को नियंत्रित करने में सरकार की अकर्मण्यता एवं इजारादार परस्त नीति के संबंध में,

(३) बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के संबंध में,

(४) अराजपत्रित कर्मचारियों तथा शिक्षकों के उचित वेतनमान, महगाई भत्ता तथा अन्य आवश्यक मांगों की पूत्ति में सरकार की अनिच्छा एवं असफलता के संबंध में,

(५) समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजी के केन्द्रीयकरण पर रोक लगाकर असमानता को दूर करने में सरकार की भयंकर विफलता के संबंध में,

(६) कृषि को वैज्ञानिक ढंग पर संचालित करने में असफलता के संबंध में,

(७) राजकीय क्षेत्र में बुनियादी तथा उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना में कमी को दूर करने के संबंध में,

(८) औद्योगिक मजदूरों को उपभोक्ता ूल्य सूचक अंक के अनुसार महंगाई भत्ता, तनख्वाह, बोनस तथा अन्य सुविधायें देने के संबंध में,

(९) औद्योगिक क्षेत्र में मतदान के जरिये ट्रेड यूनियनों की मान्यता नहीं दिये जा के संबंध में,

(१०) जमीन की उचित हदबंदी और जोतने वालों को जमीन देने संबंधी सरकार की विफलता और अनिच्छा के संबंध में,

(११) जूट, उख आदि किराना फसलों की उचित कीमत उत्पादकों को दिलाने में सरकार की विफलता के संबंध में,

(१२) बटाई की जमीनों पर कायमी हक दिलाने के संबंध में,

(१३) खेत मजदूरों को वास की जमीन और न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी के संबंध में,

(१४) शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, मनमानापन, गुटबन्दी तथा सुनियोजित नीति का अभाव तथा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करने के संबंध में,

(१५) दरभंगा में एक सर्वांगीण विश्वविद्यालय की स्थापना करने के सरकारी वादे की आपूर्त्ति के संबंध में।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है—

(१) बढ़ती हुई महंगी से जनता और निश्चित आय वालों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई परेशानी और कठिनाई का निदान,

(२) अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रति सरकार की उदासीनता और सरकार का विरोधी रुख,

(३) कृषि, सिंचाई, सहकारिता आदि विभागों की विफलता,

(४) प्रशासन में परिव्याप्त अयोग्यता, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात,

(५) भारत सेवक समाज द्वारा किये जानेवाले निर्माण कार्यों में गुटबाजी तथा रुपये का दुरुपयोग,

(६) भारत रक्षा कानून का दुरुपयोग,

(७) चीनी उद्योग तथा ईख और पाट उत्पादकों के संकट,

(८) कर्ज और मालगुजारी वसूली में गरीबों के साथ कड़ाई तथा अमीरों के साथ ढिलाई और नरमी,

(९) औद्योगिक क्षेत्रों के नदी प्रवास को कारखानों द्वारा विषाक्त की जा रही कार्रवाइयों को रोकने तथा उनके कुपरिणामों के निराकरण की व्यवस्था,

(१०) राज्य में व्याप्त राष्ट्रद्रोहियों एवं पंचमांगियों को नहीं रोक पाना,

(११) शिक्षा एवं परीक्षा जैसे राष्ट्र निर्माणकारी मामलों में सरकारी नीति की अनिश्चितता तथा दुविधा,

(१२) राज्य में बाढ़ और सूखे से करोड़ों रुपये की सालाना बर्बादी के लिए प्रकृति से अधिक सरकार की गलत नीति की जिम्मेदारी,

(१३) राज्य में अनुशासनहीनता, घूसखोरी एवं अपराध कर्मों में लगातार वृद्धि,

(१४) राज्य की जनता का वर्त्तमान मंत्रिमंडल में अविश्वास,

(१५) सरकार द्वारा जनता के धन की फिजूलखर्ची तथा विलासिता के लिए अपव्यय,

(१६) सरकार में प्रविष्ट पंचमांगियों तथा उनके सहयोगियों से राज्य की सुरक्षा को खतरा,

(१७) राज्य में व्याप्त खाद्यान्न एवं दवा इत्यादि में मिलावट को नहीं रोक पाना,

(१८) शिक्षितों और अनपढ़ों की बढ़ती हुई बेकारी,

(१९) गंगा, गंडक, सरयू आदि नदियों के कटाव से जमीन को सुरक्षा को स्थायी व्यवस्था तथा उससे पीड़ित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था,

(२०) स्वर्ण नियंत्रण कानून के कारण लाखों बेकार कारीगरों की जीविका की समस्या,

(२१) हिन्दी भाषी प्रदेश होते हुए भी सरकारी पदाधिकारियों की हिन्दी में व्यवहार की उपेक्षा,

(२२) व्यापार के राष्ट्रीयकरण की धमकी से व्यवसायी क्षेत्र में अस्त-व्यस्तता,

(२३) बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन और कुटीर उद्योगों की घोर उपेक्षा,

(२४) पंचवर्षीय योजना के अव्यावहारिक रूप को सुधारना,

(२५) अभीतक अनिवार्य शिक्षा छः से ११ वर्ष तक की कम के बालक-बालिकाओं के लिए नहीं करने का,

(२६) प्रशिक्षित शिक्षकों की बेकारी,

(२७) माध्यमिक शिक्षकों एवं जिला परिषद् के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है—

जन उपयोगी चीजों के मूल्य बढ़ने के कारणों का निदान तथा उनकी पर्याप्त एवं आवश्यक समीक्षा।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है—

(१) समाजवादी समाज के निर्माण कार्य में शिथिलता तथा सरकार की उदासीनता,

(२) राज्य में फैलती हुई भयानक गरीबी का निदान,

(३) राज्य में दिनानुदिन जनोपयोगी चीजों की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप जन-साधारण की कठिनाइयां एवं इसके निराकरण में सरकार की विफलता,

(४) राज्य पर असाधारण ऋण का भार एवं वित्तीय संकट का जिक्र,
(५) जन साधारण पर अत्यधिक करों का बोझ और उसे रोजमर्रा बढ़ाने की सरकारी नीति का कुपरिणाम,
(६) राज्य में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, चोरबाजारी एवं मुनाफाखोरी का प्रश्न,
(७) तीन पंचवर्षीय योजना काल की प्रायः समाप्ति के बावजूद राज्य में बेकारी की अत्यधिक वृद्धि,
(८) प्रशासन में अयोग्यता, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार,
(९) राज्य के शिक्षण संस्थाओं में असंतोष, अराजकता और अनुशासनहीनता,
(१०) राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों में असंतोष एवं अनुशासनहीनता,
(११) औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि, महंगाई भत्ता और बोनस,
(१२) सरकार की फजूलखर्ची को कम करने तथा रोकने के संबंध में कोई ठोस नीति,
(१३) भारत रक्षा कानून का गलत उपयोग,
(१४) राजनीतिक दलों तथा जनता द्वारा किये गये आंदोलनों के सम्बन्ध में सरकार की गलत नीति एवं दमन का कुप्रयास,
(१५) साम्प्रदायिकता एवं जातिवाद का विषैला वातावरण,
(१६) राज्य के अस्पतालों की दयनीय स्थिति तथा कुव्यवस्था के फलस्वरूप रोगियों की दुर्दशा,
(१७) गृह-निर्माण कार्य में सरकार की असफलता;
(१८) सरकारी गल्ले की दूकानों की संख्या बढ़ाने के बावजूद जन साधारण की कठिनाइयों में वृद्धि तथा चोरबाजारी के रोकथाम में सरकार की उदासीनता एवं विफलता,
(१९) खाद्य-उत्पादन में कथित वृद्धि के बावजूद महंगाई तथा गल्ले की कमी को दूर करने में सरकार की असफलता,
(२०) नगरपालिकाओं को अपने हाथों में रखने तथा चुनाव नहीं कराने की सरकार की गलत नीति,
(२१) गया जैसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर के समुचित विकास की ओर सरकार की उदासीनता।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित विषयों का उल्लेख नहीं किया है—

राज्य के अन्तर्गत अन्न का अभाव, खाद्य संकट एवं भयंकर महंगाई तथा अन्न सम्यक वितरण प्रणाली में कुव्यवस्था, प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, निकम्मापन, बेकारी, नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण, औद्योगिक जनतंत्र की हत्या, भूमि

समस्या के समाधान में असमर्थता, शिक्षण संस्थाओं में अराजकता, नदीघाटी योजना से उत्पन्न विस्थापित लोगों की उपेक्षा, राज्य के पिछड़े वर्ग की दशा में सुधार की उपेक्षा।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति (श्री भोला पासवान)—प्रश्न यह है कि:

"इस सभा के सदस्यगण राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६५ को ९ बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

गोविन्द मोहन मिश्र,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना:
तिथि ११ फरवरी १९६५।